बिहार सरकार

विशेष प्रतिवेदन

(2017-20)

बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

22/बी०, हार्डिंग रोड, पटना, बिहार
ई-मेल: scpcr.bihar@gmail.com
www.http://bscpcr.org.in

आभार

संपादक मंडल

श्रीमती सुनंदा पांडेय
सदस्य,
बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना।

श्री रमेश कुमार झा
सचिव,
बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना।

श्रीमती कुमारी अनिता चौधरी
बाल संरक्षण पदाधिकारी,
बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना।

श्रीमती किरण बाला
बाल संरक्षण पदाधिकारी,
बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना।

प्रतिवेदन लेखन

श्रीमती रश्मि झा
वरीय परामर्शी (बाल संरक्षण), समाज कल्याण निदेशालय–यूनिसेफ, बिहार

सहयोग–दस्तावेज संकलन एवं लॉजिस्टिक

श्री रजनीश कुमार
श्री प्रेम नीति कुमार
श्री राजकुमार सिंह
श्री रोहित श्रीवास्तव
श्रीमती संगीता देवी
श्री जितेन्द्र कुमार सिंह

मुख्यमंत्री
बिहार

संदेश

राज्य सरकार बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, निरंतर शिक्षा एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने विगत वर्षो में विधि प्रदत्त बाल न्याय संबंधी प्रावधानों के क्रियान्वयन में बालोन्मुखी दृष्टिकोण प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बाल मन पर समाज में होने वाली हरेक गतिविधियों का प्रभाव पड़ता है और उनको बेहतर वातावरण उत्पन्न हो इसकी जवाबदेही, परिवार, समाज, समुदाय एवं राज्य की होती है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग सभी संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित कर बाल अधिकारों का संरक्षण करते हुए राज्य के भविष्य को गढ़ने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है।

बिहार सरकार ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग का पुर्नगठन कर राज्य में बाल संरक्षण से जुड़े कार्यों को करने के लिये एक सशक्त, सक्षम एवं कुशल टीम को जिम्मेदारी प्रदान की है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग संवेदनशीलता के साथ नई चुनौतियों के समाधान हेतु प्रयास कर रहा है तथा प्रदेश के भविष्य को उज्जवल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

यह अत्यन्त प्रशंसनीय है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा इस विशेष प्रतिवेदन के माध्यम से बिहार में बाल संरक्षण के लिये किये जा रहे प्रयासों को लिपिबद्ध कर प्रस्तुत किया गया है। यह पुस्तिका बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा किये जा रहे कार्यों की विवरणी मात्र नहीं हैं, बल्कि यह एक ऐसा अभिलेख है जिसके आधार पर बाल संरक्षण संबंधी कार्यनीति का निर्माण करने में मदद मिलेगी।

मैं इस विशेष प्रतिवेदन के प्रकाशन से जुड़े सभी व्यक्तियों को व्यक्तिगत शुभकामनाएँ देता हूँ।

(नीतीश कुमार)

Annual Report (2017-2020) Presented by: Manaswin Media

मंत्री,
समाज कल्याण विभाग
बिहार, पटना।

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आयोग के तहत वर्ष 2017–20 में किये जाने वाली सम्पूर्ण गतिविधियों एवं हस्तक्षेपों को विशेष प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत किया है। इस प्रतिवेदन का अवलोकन कर यह समझा जा सकता है कि बाल संरक्षण के प्रक्षेत्र में राज्य में कितने कार्य संपादित किये गये है। मेरा व्यक्तिगत रूप से यह विश्वास है कि इस प्रतिवेदन के अवलोकन के पश्चात आगे की रणनीति बनाने हेतु न केवल उर्जा मिलेगी, बल्कि संरक्षण के प्रयास को फलीभूत करने के लिए एक दिशा–निर्देश का भी कार्य करेगा।

मै माननीय अध्यक्ष सहित आयोग के सभी सदस्यगणों एवं सहयोगी प्रशासी संरचना के सभी घटकों को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। हम समृद्ध एवं खुशहाल बचपन वाले प्रदेश बनाने की दिशा में इस आयोग के भूमिका की सराहना करते है तथा आशा करते हैं कि आयोग इसी प्रकार से बच्चों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत रहेगा।

19.7.2024.

(मदन सहनी)
मंत्री, समाज कल्याण विभाग,
बिहार पटना।

अपर मुख्य सचिव
समाज कल्याण विभाग

संदेश

बाल अधिकार की प्रतिस्थापना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसी प्राथमिकताओं के तहत राज्य में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई है। आयोग समाज के उस वर्ग के लिये काम करता है, जिन्हें अपने अधिकार तथा उनके सर्वांगीण विकास के लिये सरकार द्वारा निर्मित योजनाओं की पूर्ण जानकारी नहीं है। निश्चित तौर पर बाल अधिकार की प्रतिस्थापना एवं बच्चों के अधिकारों के हनन से जुड़े मुद्दों में लिये गये निर्णयों एवं अनुशंसाओं का कार्यान्वयन एक चुनौतिपूर्ण कार्य है। विशेषकर किशोर न्याय (बालकों के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत आयोग के अनुश्रवण के अधिकार एवं दायित्व का निर्वहन एक कठिन कार्य है, परन्तु यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जब बच्चों के अधिकारों की बात आती है तो कार्यो के निष्पादन में एक अलग तरह का उत्साह आ जाता है।

बच्चों के सुरक्षा का आयाम एवं संदर्भ बहुत विस्तृत है जिसमें संवैधानिक एवं वैधानिक निकायों, सरकार, पुलिस, परिवार, समुदाय, सिविल सोसाईटी तथा मीडिया इत्यादि अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। आयोग ने अपने हरेक कार्य को चाहे वो शिक्षा के अधिकार अधिनियम से जुड़ा मामला हो या फिर बालकों के लैंगिक शोषण के संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधानों तक बच्चों की पहुँच सुनिश्चित कराना, अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले लाभों के माध्यम से बच्चों को संरक्षित करना और उन्हें समाज के मुख्यधारा में जोड़ने तक के हरेक कार्य को अत्यंत संवेदनशीलता से निभाया है। बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग ने इन प्रयासों के अधिकतम प्रभाव के लिये बच्चों, किशोरों तथा सामुदायिक सदस्यों तक सीधे पहुँचने का उपक्रम विकसित किया है जो एक अति महत्वपूर्ण आयाम है।

मैं इस विशेष प्रतिवेदन के प्रकाशन से जुड़े सभी व्यक्तियों को भविष्य के लिये शुभकामनायें प्रेषित करता हूँ।

(अतुल प्रसाद)

अध्यक्ष
बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग

अध्यक्ष की कलम से

मगध विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र में एम.ए तथा पी.एच.डी की हूँ। वर्ष 2002 से नवादा में महिला अपराध नियंत्रण कोषांग की परामर्शी रही और वर्ष 1994 से एस.के.एम. कॉलेज नवादा में समाज शास्त्र विभाग में व्याख्याता रही हूँ। वर्ष 2019 से मगध विश्वविद्यालय की सिंडिकेट की सदस्य हूँ। राजनीति क्षेत्र में भी काफी सक्रिय रहते हमेशा लोगों को मदद करती रही। बच्चों, औरतों एवं कमजोर वर्गों के लिए काफी काम की हूँ। बाल विवाह दहेज प्रथा रोकने के लिए समाज में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिबद्ध रही हूँ।

एक शिक्षक होने के नाते शिक्षा के महत्व को समझते हुए कई स्कूल कॉलेज, में बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती रही।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में बिहार बहुत तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। प्रदेश की महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में सुखद परिवर्तन लाने के अद्वितीय प्रयासों के परिणाम अब दिखाई देने लगे है। वर्तमान सरकार बाल विवाह और भ्रूण–हत्या की रोकथाम पर लगातार काम कर रही है, जो सराहनीय है। सरकार ने बाल अधिकारों की प्रतिस्थापना एवं बाल अधिकार के हनन से जुड़े मामलों की समीक्षा करने तथा संज्ञान लेने हेतु बिहार राज्य बाल अधिकार सरंक्षण आयोग का गठन किया है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तीसरे अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। अपनी स्थापना के समय से ही आयोग ने बच्चों के प्रति विधि संगत एवं माननीय दायित्वों के निर्वहन को पूरी ईमानदारी से निभाया।

बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम के लिये निश्चित तौर पर विगत दो वर्ष में आशाजनक एवं प्रतिफल देने वाला रहें है। हम सब ने मिलकर यह कोशिश की है कि प्रत्येक बच्चे के अधिकारों के संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता एवं सर्मपण को बनाये रखें। आयोग की पूरी टीम उत्साहित है, हम प्रमंडलीय भ्रमण के दौरान काफी बच्चों से मिले, जिससे हमें एक नये और सुखद अनुभव की प्राप्ति हुई है, जो भविष्य में हमारे प्रयासों को मजबूती प्रदान करेगा। आंतरिक प्रणालियों में सुधार के लिये हम निरंतर प्रयत्नशील है तथा सभी बच्चों के संरक्षण के विशिष्ट जरूरतों पर बल देते हुए संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण की अनुशंसा करते है।

राज्य में आयोग की उपस्थिति को प्रभावी बनाने के लिये हम सभी सहयोगियों के आभारी है। मैं व्यक्तिगत रूप से यूनिसेफ के बाल संरक्षण विशेषज्ञ श्री मंसूर कादरी, विधि परामर्शी श्री अजय कुमार एवं परामर्शी श्रीमती रश्मि झा को उनके सहयोग के लिए साधुवाद देती हूँ। हम सब आयोग के वर्तमान सचिव श्री रमेश कुमार झा के भी आभारी है जिन्होने अपनी प्रशासनिक कुशलताओं के कारण आयोग के कामों के निष्पादन को त्वरित गति प्रदान की है, साथ हीं उन सहायक संरचनाओं के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं जो आयोग को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग प्रदान करते आ रहे है।

आयोग के कार्यों, अनुशंसाओं एवं उपलब्धियों को वर्त्तमान सचिव के निर्देशन में यूनिसेफ के सहयोग से इस विशेष प्रतिवेदन के रूप में संकलित कर प्रकाशित किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं आयोग के सचिव के नेतृत्व में सम्पूर्ण प्रकाशन दल को बधाई देती हूँ।

प्रदेश के सभी बच्चों एवं अभिभावकों को शुभकामनाओं सहित।

प्रो0 (डॉ0) प्रमिला कुमारी

सचिव की कलम से

हमने विगत वर्षों में आयोग के द्वारा किये गये हस्तक्षेपों को विशेष प्रतिवेदन का स्वरुप देकर आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश की है। मैं इस प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यों के संकलन एवं सुंदर प्रस्तुतीकरण के लिये यूनिसेफ के वरीय परामर्शी रश्मि झा को आयोग की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। समान उद्येश्य पर काम करने वाली संस्थायें तथा हितधारकों का सहयोग अपेक्षित है। मैं विशेष रुप से यूनिसेफ के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने आयोग की गतिविधियों के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने में निरंतर सहयोग किया है। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में बच्चों के संरक्षण के अधिकार के लिये हम सब मिलकर कार्य करते रहेंगे।

आपकी प्रतिक्रियाओं एवं बहुमुल्य सुझावों का हम स्वागत करते हैं।

(रमेश कुमार झा)

अनुक्रमणिका

क्रम सं0	विषयपृष्ठ	संख्या
1	पृष्ठभूमि	1–2
2	बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग : एक परिचय	2
2.1	संरचना	2
2.2	कार्यकाल	2–3
2.3	तृतीय आयोग (2017–2019)	3–4
2.4	वर्तमान आयोग (2019–2021)	5
2.5	प्रशासकीय सहयोग एवं संरचना	5
2.6	हस्तक्षेप, कार्यक्रम घटक एवं संरचनात्मक सहयोग	6–9
3	बिहार में बच्चों की स्थिति	9–11
4	विगत तीन वर्षों में आयोग के द्वारा किये गये कार्यों की सूची	11
4.1	प्रमंडलीय भ्रमण रिपोर्ट	11–12
4.2	पुनः भ्रमण	13
4.3	स्थायी जाँच दल	13
4.4	कार्यकारिणी बैठक	13
4.5	बिहार दिवस में आयोग का स्टॉल	14
4.6	विद्यालय भ्रमण कार्यक्रम	14–16
5	कार्यशालायें/सेमिनार/प्रशिक्षण/चर्चा/जागरूकता कार्यक्रम में आयोग की उपस्थिति	16–21
6	मुख्य उपलब्धियाँ	22
6.1	आर.टी.ई. के तहत बच्चों के नामांकन से संबंधित जिलावार विवरण	22–23
6.2	पोक्सो अधिनियम को लागू करने के लिए मानक/निगरानी प्रारूप रिपोर्टिंग एजेंसी	24–29
7	आयोग द्वारा निकाले गये प्रमुख दिशा–निर्देश/पत्रों की सूची	30–34
8	कोरोना महामारी के दौरान बाल संरक्षण हेतु किये गये कार्यों का विवरण	35–36
9	आगामी कार्य–योजना	36
10	सारांश	37

1. पृष्ठभूमि

"जिन बच्चों के कार्यों की सराहना की जाती है, वो अपने आप के प्रति सम्मानपूर्वक दृष्टिकोण रखते है। जिन बच्चों के आस–पास का वातावरण सुरक्षित एवं भयमुक्त होता है, वो बच्चे अपने एवं दूसरों के ऊपर विश्वास करना सीखते है। जिन बच्चों को मित्रतापूर्ण वातावरण प्रदान होता है, उन्हें यह दुनिया सबसे सूबसूरत जगह लगती है।"

डोरोथी नॉल्टे (अमेरिकी लेखिका एवं फैमिली काउंसलर)

बच्चों के परवरिश एवं देखभाल से संबंधित उपरोक्त कथन पूर्णतया वैज्ञानिक सिद्धांतो पर आधारित है। वस्तुतः बच्चों में किया जाने वाला निवेश राष्ट्र के सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए किये जाने वाला निवेश है। सभी आयामों पर विकसित एवं खुशहाल बच्चे भविष्य में एक सशक्त युवा बनते है, जो अपनी क्षमताओं से अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते है, प्रत्येक रूप में अपनी भूमिकाओं का निर्वहण बेहतर ढंग से करते है तथा आने वाली पीढ़ियों को भी सशक्त करते है। भारत के संविधान ने लिंग, उम्र, जाति और आर्थिक स्थिति के निरपेक्ष बच्चों सहित अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किया है। संविधान द्वारा बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किये गये है :– अनुच्छेद 15(3) राज्य को अनुमति देता है कि बच्चों के हितों में विशेष प्रावधान करें, अनुच्छेद 21A बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मान्यता देता है। अनुच्छेद 24 में यह उल्लेखित है कि खतरनाक कार्यों के नियोजन में 14 वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चों को रोजगार में लगाया जाना प्रतिबंधित है। इसके अतिरिक्त राज्य के नीति–निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 (ई) तथा (एफ) एवं अनुच्छेद 45 राज्य को बाल अधिकारों से संबंधित विशेष जिम्मेदारी देते है।

संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार समझौता पत्र 1989 में वर्णित बच्चों के सभी अधिकारों को निम्न चार वर्गों में विभाजित कर देखा जा सकता है –

- उत्तरजीविता का अधिकार
- विकास का अधिकार
- सुरक्षा का अधिकार
- सहभागिता का अधिकार

इन अधिकारों को प्रभावशाली रूप से कार्यान्वित करने के लिये संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कई महत्वपूर्ण विधिक प्रावधान किये गये। सभी प्रकार के बच्चों का विशेष तौर पर विधि विरूद्ध एवं देख–रेख की आवश्यकताओं वाले बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, उनके अधिकार सुरक्षित एवं संरक्षित हों, इसके लिये विभिन्न अधिनियम बनाये गये। यह उल्लेखित करना आवश्यक होगा कि इस संबंध में किशोर न्याय (बालकों के देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 (वर्तमान में 2015) एवं संबंधित नियमावली विशेष तौर पर बच्चों के संबंध में ही बनाये गये। इनके अलावा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 इत्यादि ऐसे महत्वपूर्ण अधिनियम है, जिसके माध्यम से देश में बच्चों के अनुकूल और सुरक्षात्मक वातावरण निर्मित किया गया है।

वैज्ञानिक सिद्धांत एवं संविधान में प्रदत्त अधिकारों के आलोक में बच्चों के अधिकारों को संरक्षित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती और उनका कोई संगठित संबोधन भी सरकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं होता है। गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष तक उम्र सीमा के विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों हेतु विभिन्न वैधानिक प्रावधानों के प्रभावशाली कार्यान्वयन में बाल संरक्षण आयोग जैसे संरचनाओं की

भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है जो विभिन्न विभागों के साथ सामंजस्य स्थापित कर बाल संरक्षण के लिए आवश्यक हस्तक्षेप करता है। वर्तमान समय एक संक्रमण काल है औद्योगिक क्रांति के बाद ज्ञान आधारित समाज विकसित हुए है, ऐसी परिस्थिति में बच्चों के संरक्षण एवं शिक्षा पर निवेश से भविष्य में 'ह्यूमन कैपिटल' में वृद्धि होगी जो किसी भी निवेश से अधिक कारगर होगा।

2. बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग : एक परिचय

खुशहाल बच्चे किसी भी राष्ट्र की उन्नति, समृद्धि एवं सुदृढ़ता का सूचक होते है। यह राष्ट्र की मूल जिम्मेदारी होती है कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा एवं उनका संरक्षण हो। इस संदर्भ में भारत सदैव अग्रणी रहा है। यह न केवल बाल अधिकारों के घोषणा पत्र का भी हस्ताक्षरी रहा है बल्कि संवैधानिक प्रतिबद्धताओं के माध्यम से भी बच्चों के सर्वागीण विकास के लिए प्रयासरत रहा है। देश में बाल अधिकार एवं संरक्षण से संबंधित कई कानून बने जिसमें समय–समय पर परिवर्तन भी किया जाता रहा। 2002 में संयुक्त राष्ट्र संघ की ''बच्चों के लिए सुरक्षित दुनिया'' पर हुआ सम्मेलन इस दिशा में वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है, जिसके प्रोटोकॉल पर भारत के हस्ताक्षर के बाद 2005 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग बिल पेश हुआ, जो 2006 में पारित हुआ तथा बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून के रूप में परिवर्तित हो गया। इस अधिनियम के तहत 2007 में राष्ट्रीय स्तर पर ''राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग'' का गठन हुआ तथा इसी अधिनियम की धारा–17 के तहत सभी राज्यों में बाल सरंक्षण आयोग गठित करने की अधिसूचना जारी हुई। इसी आलोक में 30 अगस्त 2010 को बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई।

2.1 संरचना

सी.पी.सी.आर. अधिनियम, 2005 के अनुसार आयोग के अन्तर्गत एक अध्यक्ष एवं छः सदस्यों का प्रावधान किया गया जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि उनमें कम से कम दो सदस्य महिलायें होगी। अध्यक्ष पद के लिए बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के अनुभव रखने की अहर्ता रखी गई। अन्य सदस्यों के लिए क्रमशः शिक्षा, किशोर न्याय या उपेक्षित या हाशिये पर जीवन जी रहे निःशक्त बच्चों की देख रेख, बाल स्वास्थ्य देखभाल या बाल विकास, बाल श्रम के संकट से बच्चों का उन्मूलन, बच्चों से संबंधित कानून विशेषज्ञ तथा बाल मनोविज्ञान अथवा समाजशास्त्र के विशेषज्ञ को शामिल करने का प्रावधान रखा गया।

2.2 कार्यकाल

क्रम सं0	आयोग	कार्यकाल		अध्यक्ष एवं सदस्यगण
		कब से	कब तक	
1	प्रथम आयोग	31.08.2010	31.08.2013	श्रीमती निशा झा – अध्यक्ष श्रीमती अपर्णा सिंह – सदस्य श्रीमती शोभा कुशवाहा – सदस्य श्रीमती ललिता सिंह – सदस्य श्री विमल कुमार जैन – सदस्य श्री शिव शंकर प्रसाद 'निषाद' – सदस्य डॉ0 निशीन्द्र किंजल्क – सदस्य
1	द्वितीय आयोग	24.02.2014	18.05.2016	श्रीमती निशा झा – अध्यक्ष श्रीमती अपर्णा सिंह – सदस्य डॉ0 निशीन्द्र किंजल्क – सदस्य श्रीमती ललिता जायसवाल – सदस्य श्री सत्येन्द्र कुमार गौतम – सदस्य मो0 हाजी अब्दुल सत्तार – सदस्य श्री अरूण कुमार वर्मा – सदस्य
3	तृतीय आयोग	मई 2017	मई 2020	डॉ0 हरपाल कौर – अध्यक्ष, (जनवरी 2019) श्रीमती प्रेमा शाह – सदस्य श्रीमती उषा देवी – सदस्य

				श्रीमती प्रमिला सिंह श्री विजय कुमार रोशन श्री पंकज सिन्हा श्री परमहंस कुमार	– सदस्य – सदस्य – सदस्य – सदस्य
3	चतुर्थ आयोग	मई 2019	वर्तमान तक	प्रो0 (डॉ0) प्रमिला कुमारी श्रीमती सुनंदा पांडेय	– अध्यक्ष – सदस्य

2.3 तृतीय आयोग (2017-2019)

प्रो0 (डॉ0) हरपाल कौर

अध्यक्ष

डॉ0 हरपाल कौर ने वर्ष 2016–17 में आयोग के तीसरे कार्यकाल में बतौर अध्यक्ष योगदान दिया था। राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर के साथ–साथ कानून में स्नातक एवं डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त डॉ0 कौर विगत 38 वर्षों से बतौर सहायक प्राध्यापक उच्च शिक्षा से जुड़ी हैं। उन्होंने अभिवंचित तबके के व्यक्तियों के मानवाधिकार, विशेषकर बच्चों एवं महिलाओं के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए काफी प्रयास किये हैं। उन्होंने कई सामाजिक गतिविधियाँ एवं हस्तक्षेप किये, जिनमें हाशिये पर स्थित समुदायों में जाकर शिक्षा के महत्व को समझाना, महिलाओं एवं बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी प्रदान करना, उनकी ऊर्जा को जगाना तथा परिवर्तन के प्रतिनिधि के रूप में तैयार होने के लिये प्रेरित करना, समुदाय को स्वच्छ वातावरण एवं साफ पेय जल के महत्वों के विषय में जानकारी देना प्रमुख था। लेखन एवं वाचन में भी सक्रिय डॉ0 कौर ने नारी सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण आयामों यथा 'भारतीय राजनीति एवं नारी सहभागिता'' तथा स्त्री शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक न्याय की स्थापना में पंचायती राज की भूमिका जैसे विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर कई आलेख लिखे हैं।

श्रीमती प्रेमा शाह

सदस्य

श्रीमती प्रेमा शाह पश्चिम चंपारण जिले में समाज सेवा एवं शिक्षा के क्षेत्र में किये गये प्रयासों के लिये लोकप्रिय व्यक्तित्व के रूप में प्रख्यात हैं। श्रीमती शाह 1986 से समाज सेवा विशेषकर अनुसूचित जनजाति में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। साथ ही उन्होंने बेतिया के महादलित समुदाय के लोगों को भी समाज के मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया। शिक्षा में निरंतर सक्रिय सहयोग एवं आदिवासी बच्चों के शैक्षणिक उन्नयन के उनके इन्हीं प्रयासों के कारण इन्हें आद्री एवं प्रभात खबर द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्रियों के करकमलों से क्रमशः 'अक्षर श्री' सम्मान एवं 'मौलाना अबुल कलाम आज़ाद' शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बुनियादी स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु योगदान के लिये वर्ष 2014 में 'जिला महिला सम्मान' प्रदान किया गया।

श्रीमती उषा देवी

सदस्य

श्रीमती उषा देवी भोजपुर जिले की निवासी हैं। उन्होंने कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। उन्होने भोजपुर जिले में साक्षरता के लिये किये जा रहे प्रयासों को धरातल पर पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने गांव–गांव में जाकर शिक्षा के महत्व से लोगों को अवगत कराया तथा साक्षर बनने के लिये प्रेरित किया। श्रीमती उषा 2006 से 2011 तक भोजपुर जिला परिषद् की सदस्य रही हैं। इस दौरान उन्होंने अपने जिम्मेदारियों का अत्यंत कर्तव्यनिष्ठा से निर्वहन किया है। अपने जनोन्मुख दृष्टिकोण के कारण उनकी छवि एक लोकप्रिय जिला परिषद् सदस्य के रूप में व्याप्त है। भोजपुर जिले में महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उनके इन प्रयासों को विभिन्न मंचों से सराहा गया है।

श्रीमती प्रमिला सिंह

सदस्य

श्रीमती प्रमिला सिंह रोहतास जिले की एक सक्रिय समाजसेवी हैं। उन्होंने रांची विश्वविद्यालय से एल.एल.एम में स्नात्कोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। श्रीमती सिंह ने 2001 में रोहतास के जिला परिषद् के सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। इस दौरान वह बतौर बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष, बच्चों के शिक्षा के कार्यक्रमों के प्रभावकारी कार्यान्वयन के अनुवीक्षण के लिये सतत प्रयासशील रहीं। तदोपरांत 2011 से लेकर 2016 से वह जिला परिषद् अध्यक्ष के रूप में पदासीन रहीं। 'जेन्डर' पर आयोजित एक राष्ट्रस्तरीय कार्यशाला में बिहार से नामित होने वाले दो जिला परिषद् के अध्यक्षों में श्रीमती सिंह एक थीं, जहाँ अपने प्रस्तुतीकरण के लिये उन्हें प्रशस्तिपत्र से सम्मानित किया गया। श्रीमती सिंह प्रारंभ से ही समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों विशेषकर बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में तथा उन व्यक्तियों/समुदायों तक सरकारी योजनाओं तक सुगमता से पहुँच सुनिश्चित करने के लिये संघर्षशील रही हैं।

श्री पंकज सिन्हा

सदस्य

बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य श्री पंकज सिन्हा पटना जिले के निवासी है। इन्होने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। श्री सिन्हा प्रारंभ से ही समाजसेवा के क्षेत्र में सक्रिय रहे है। इन्होनें लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के लिए कई प्रकार के समाजिक कार्य किये हैं। गांवों में स्वास्थ्य जांच कैम्प लगाकर विभिन्न आयुवर्ग के व्यक्तियों को विभिन्न बीमारियों की जांच करवाना तथा उन्हे सरकार के स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं से जोड़ने की कोशिश काफी सराहनीय रही है। श्री सिन्हा विशेषकर, नेत्रहीन बालिकाओं के साथ कार्यरत रहे हैं एवं वर्तमान में भी उन्हें जीवन के सभी आयामों पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं ताकि उन बच्चियों का जीवन खुशहाल हो सके।

श्री परमहंस कुमार

सदस्य

विवरण अनुपलब्ध

श्री विजय कुमार रोशन

सदस्य

सामाजिक जीवन में वंचितों/दलितों/पिछड़ों की आवाज को सुदृढ़ करने का कार्य आयोग के सदस्य श्री विजय कुमार रोशन छात्र जीवन से ही करते आये है। श्री रोशन वैशाली जिले के निवासी हैं। स्नातक की उपाधि प्राप्त श्री रोशन भारत स्काउट गाइड से जुड़े रहे हैं इसलिये खेल के प्रति बच्चों को सदैव प्रेरित करते हैं। समाज के अभिवंचित तबकों के बेहतरी के लिये कार्य करने में ये सदैव प्रयत्नशील रहे हैं। विशेष तौर पर बालक एवं बालिकाओं की आवाज़ एवं हितों को समाज के मुख्यधारा में लाकर भावी पीढ़ी को मजबूत बनाने में इनका योगदान सराहनीय है। गोपालगंज जिले के एक गांव में इन्होंने दो बच्चों को जिंदा जमीन में दफन करने की घटना को न सिर्फ रोका, बल्कि इस पर एस.आई.टी. की टीम का भी गठन करवाया। आयोग के सदस्य के रूप में यह आवंटित जिलों में नियमित निगरानी का कार्य करते रहे।

2.4 वर्तमान आयोग (2019-2022)

प्रो0 (डॉ0) प्रमिला कुमारी

अध्यक्ष

वर्तमान आयोग की अध्यक्ष प्रो0 (डॉ0) प्रमिला कुमारी ने समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर तथा पी. एच.डी. की उपाधि प्राप्त की है। डॉ0 कुमारी नवादा के एस.के.एम. कॉलेज में बतौर समाज शास्त्र की व्याख्याता के पद पर कार्यरत रही हैं, साथ ही, 2019 से मगध विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की सदस्य भी हैं। डॉ0 कुमारी जरूरतमंदों की मदद करने के लिये सदैव कृतसंकल्प रही हैं। महिला हिंसा की रोकथाम के लिये संघर्षरत रही डॉ0 कुमारी नवादा जिले के महिला अपराध नियंत्रण कोषांग की परामर्शी के तौर पर कार्य कर चुकी हैं। नवादा के ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह रोकने एवं दहेज प्रथा के विरूद्ध जनजागरूकता के प्रचार – प्रसार में इनकी भूमिका सक्रिय एवं सराहनीय रही है। डॉ0 कुमारी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के कारण कई बालिकाओं का बाल विवाह होने से रोका जा सका है।

श्रीमती सुनंदा पांडेय

सदस्य

वर्तमान में आयोग के एक मात्र सदस्य के रूप में कार्यरत सुनंदा पांडेय ने दो विषयों में विशेषज्ञता के साथ बी.आई.टी. मेसरा से एम.बी.ए. की डिग्री प्राप्त की है। श्रीमती पांडेय को शिक्षा, पत्रकारिता एवं मानव संसाधन के क्षेत्र में कार्य करने का व्यापक अनुभव प्राप्त है। पत्रकारिता के अपने कैरियर के दौरान उन्होनें राष्ट्रीय स्तर के दो अखबारों के साथ जुड़कर काम किया है। उन्होंने पटना के एक प्राईवेट मीडिया कॉलेज में मीडिया एवं मार्केटिंग विषय आधारित शैक्षणिक कार्य किये। इनके विद्यार्थी राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर के कई मीडिया संस्थानों के साथ काम कर रहे हैं। अपने अकादमिक कीर्तिमानों एवं व्यापक कार्यानुभव के साथ वह बच्चों के अधिकार के प्रति कार्य करने में सक्रिय रही हैं। बाल अधिकार संरक्षण की अच्छी समझ रखने वाली एवं इसके प्रति समर्पित श्रीमती पांडेय एक प्रखर वक्ता हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य के उनके कार्यकाल के पूर्व भी वह बाल मुद्दों पर कार्यरत कई समाजिक संस्थाओं को बौद्धिक सहयोग प्रदान कर रही थीं।

2.5 प्राशासकीय एवं सहयोग संरचना

श्री रमेश कुमार झा	–	सचिव
श्रीमती कुमारी अनीता चौधरी	–	बाल संरक्षण पदाधिकारी
श्रीमती किरण बाला	–	बाल सरंक्षण पदाधिकारी

सहयोग टीम

श्री रजनीश कमार
श्री प्रेम नीति कुमार
श्री राजकुमार सिंह
श्री रोहित श्रीवास्तव
श्रीमती संगीता देवी
श्री जितेन्द्र कुमार सिंह

2.6 हस्तक्षेप, कार्यक्रम घटक एवं संरचनात्मक सहयोग

क्रम सं0	श्रेणी	कार्य
1.	प्रोत्साहन	• बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए निर्मित कानून या कुछ समय के लिए लागू किसी कानून द्वारा प्रदत्त सुरक्षा का परीक्षण और समीक्षा करना और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मानदण्डों की अनुशंसा करना। • बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान शुरू करना और उसे बढ़ावा देना। • समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता का प्रसार और इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनार व अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से जागरूकता को प्रोत्साहित करना।
2.	संरक्षण	• बाल अधिकारों के उल्लंघन और ऐसे प्रकरणों में अनुशंसित कार्यवाही के पालन की जाँच करना। • आतंक, साम्प्रदायिक हिंसा, दंगों, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, एचआईवी/एड्स, ट्रैफिकिंग, दुर्व्यवहार, अत्याचार और उत्पीड़न, अश्लील फिल्म और यौनाचार से बाल अधिकारों के प्रभावित होने के मामलों की जाँच और उपयुक्त निवारक मानदण्डों की अनुशंसा करना। • संकट में हाशिये पर तथा वंचित समुदाय के बच्चों, कानूनी मामलों में उलझे बच्चों, किशोरों, परिवार विहीन बच्चों तथा कैदियों के बच्चों सहित विशेष देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित मामलों को देखना और उपयुक्त निवारक मानदण्डों की अनुशंसा करना। • निम्न से संबंधित शिकायतों पर पूछताछ करना और मामलों पर स्वतः संज्ञान लेना– 1. बाल अधिकारों का अभाव और उल्लंघन। 2. बच्चों के विकास और संरक्षण के लिए बने कानूनों का पालन नहीं होना।

		3. बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए हुए नीतिगण निर्णयों, मार्गदर्शनों और दिशा–निर्देशों का क्रियान्वयन न होना या पीड़ित बच्चे को राहत प्रदान न होना या ऐसे मामलों से जुड़े मुद्दों को उपर्युक्त प्राधिकारियों द्वारा हल न किया जाना।
3.	निगरानी	• सुरक्षा उपायों पर कार्य की रिपोर्ट देने के लिए आयोग एकदम उपर्युक्त हो सकता है। इसलिए, आयोग द्वारा केन्द्र सरकार को सालाना या ऐसे ही अंतराल में रिपोर्ट प्रदान करना। • संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों का अध्ययन करना और बाल अधिकारों पर वर्तमान नीतियों, कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों की आवधिक समीक्षा करना तथा बच्चों के सर्वोत्तम हितों में इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनुशंसाएं करना। • किशोर सुधार गृह या किसी सामाजिक संस्थाओं द्वारा संचालित संस्थान सहित केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा संचालित बच्चों के ऐसे आवास गृह या संस्था का निरीक्षण करना जहाँ उपचार, सुधार या सरंक्षण के लिए बच्चों को निगरानी या अभिरक्षा में रखा गया है। इसके साथ ही आवश्यक होने पर संचालक प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली निवारक कार्रवाई की अनुशंसा करना।
4.	अतिरिक्त कार्य	• इस तरह के अन्य कार्य जो बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक समझे गए हों और उपरोक्त कार्यों से संबंधित अन्य मामले।

संरचनात्मक सहयोग

अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सफल कार्यान्वयन के लिए एक सुदृढ़ प्रशासनिक संरचना की व्यवस्था की गई है, जिसकी संरचना निम्नवत है –

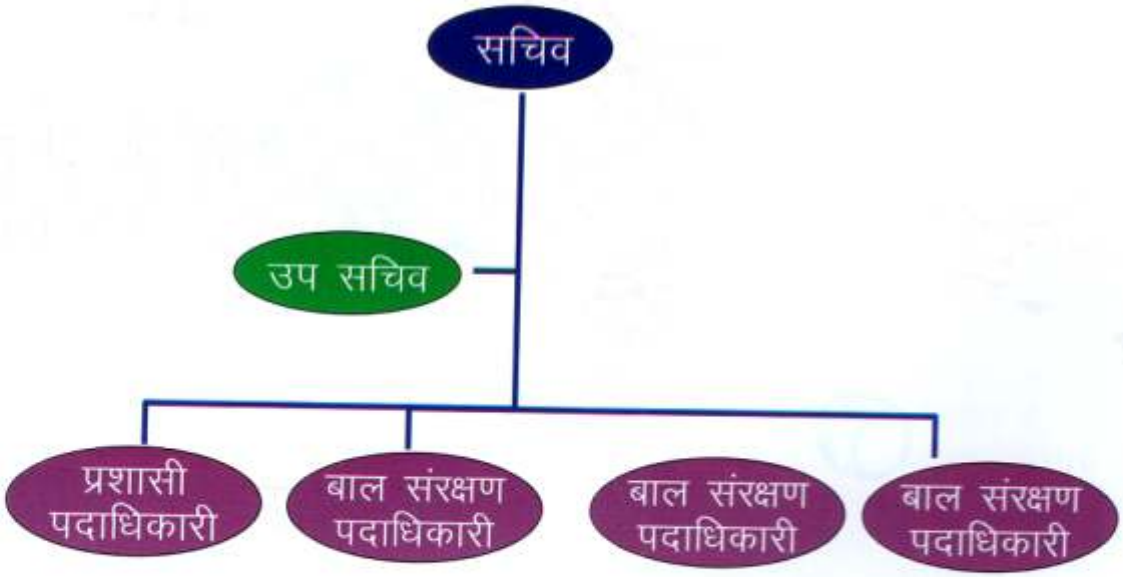

बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रमुख कार्यक्रम घटक निम्न है–

आयोग का मुख्य कर्तव्य बाल अधिकार पर हुए अतर्राष्ट्रीय कन्वेनशन के अनुपालन के आलोक में देश में विद्यमान कानूनी नीतियों और प्रचलित प्रथाओं का बाल अधिकार के दृष्टिकोण से विश्लेषण करना, साथ ही बाल अधिकारों के हनन करने वाले प्रथाओं अथवा नीतियों की जाँच पड़ताल कर तथा त्वरित कार्रवाई के लिए सरकार को मंतव्य देना और बाल अधिकारो के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित नये कानूनों पर मंतव्य देना अथवा पुराने कानूनों में संशोधन की अनुशंसा करना है।

बाल अधिकारों के संरक्षण के संबंध में आयोग को यह जिम्मेदारी प्रदान की गई कि वह राष्ट्रीय आयोग के साथ समन्वय स्थापित करे, बाल अधिकारों के उल्लंघन कार्यों की जाँच पड़ताल करे, बच्चों से संबंधित सरकार या किसी अन्य अधीनस्थ प्राधिकार या संगठन से निर्धारित समय सीमा के अंदर आवश्यक सूचनाओं या प्रतिवेदन की मॉग करे, बच्चों से संबंधित ऑकड़े संकलित कर उनका विश्लेषण करे, बाल अधिकारों के बारे में जानकारी विकसित करे तथा उनका प्रचार–प्रसार करें। आयोग ने अपने पहले कार्यकाल में ही प्रदेश के बच्चों उनके अभिभावकों संबंधित विभागों / हितधारकों / संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर राज्य के द्वारा दिये दायित्व को पूरी सचेष्टता एवं संवेदनशीलता के साथ निभाया। अपने निर्धारित क्रियाकलापों यथा शिकायतों के प्रबंधन, उनका संज्ञान लेने, समय पर निराकरण में सहयोग, अदालती प्रकरणों के जवाब देना, संबंधित निकायों को दिशा–निर्देश जारी करने तथा कानूनों का बाल अधिकार के दृष्टि से विश्लेषण करना जैसे कार्यों के अतिरिक्त आयोग ने कई नवाचारों को अपनाते हुए प्रदेश में बाल अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में कई हस्तक्षेप किये जिसके परिणाम काफी सकारात्मक रहे हैं। इनमें से कुछ गतिविधियाँ निम्नवत है :–

1. शिक्षा के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आयोग द्वारा 21 सूत्रीय दिशा निर्देश जारी करना महत्वपूर्ण हस्तक्षेप कहा जा सकता है, जिसके तहत स्कूल / अध्यापकों की जिम्मेदारी के साथ–साथ स्थानीय प्रशासन, शिक्षा विभाग एवं राज्य सरकार की जिम्मेदारी तय की गई जिसके मूल में सभी सरकारी स्कूलों में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान तथा सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले स्कूलों में न्यूनतम 25% छात्रों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना इत्यादि शामिल था।
   इसके अतिक्ति आयोग ने सभी संस्थानों में बच्चों को दिये जाने वाले सजा बंद करने पर भी दिशा–निर्देश जारी किये। इसमें सभी स्कूलों में शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था करना तथा सभी स्कूलों, छात्रावासों, न्यायिक गृहों, शेल्टर होम्स और बच्चों के लिए बने अन्य संस्थानों में एक ऐसा मंच तैयार करना जिससे वो खुलकर अपनी बातें कह सकें इत्यादि अत्यंत महत्वपूर्ण गतिविधियाँ है। ऐसा करना बच्चों के सहभागिता के अधिकार के आयाम को सुनिश्चित करता है।

2. बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पटना उच्च न्यायालय के किशोर न्याय अनुश्रवण समिति के साथ मिलकर एक प्रयोग किया जो भारत में बच्चों के अधिकार से संभवतः संबंधित पहला प्रयोग था। इसके तहत बच्चों के अधिकार से संबंधित अधिनियमों, उनके क्रियान्वयन अनुश्रवण एवं प्रचार–प्रसार से संबंधित कार्यक्रमों पर गहन विमर्श किया गया तथा आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। प्रकारान्तर में यह अनुश्रवण कार्यक्रम प्रमंडल स्तर पर भी आयोजित किये गये जिसमें बाल अधिकार से जुड़े विभिन्न मुद्दों, व्यवस्था, संचालित गृहों, किशोर न्याय परिषद, बाल कल्याण समिति, विशेष किशोर पुलिस इकाई, जिला बाल संरक्षण इकाई के क्रियाकलापों, संचालित योजना जैसे परवरिश इत्यादि की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त आयोग एवं उच्च न्यायालय अनुश्रवण समिति द्वारा प्रमंडलों में स्थित विभिन्न गृहों की जाँच की गई एवं आवश्यक निर्देश जारी किये गये।

3. "बच्चों का अधिकार पंचायत के द्वार तक : एक नवीन क्रांति का आगाज" के माध्यम से बच्चों को प्राप्त विधिक सेवा के प्रावधानों एवं सहायता से संबंधित निकायों के विषय में बच्चों, उनके माता–पिता, अभिभावकों एवं बाल अधिकार एवं संरक्षण से जुड़ी अन्य हितधारकों को जागरूक करने के लिए बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आयोग ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके तहत समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों/हितधारकों को जोड़कर पंचायत के स्तर पर जागरूकता का प्रचार करने की विस्तृत योजना बनाई गई जिसका सफलता पूर्वक कार्यान्वयन भी किया गया।

3. बिहार में बच्चों की स्थिति

बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, उत्तरजीविता एवं संरक्षण की स्थिति न केवल उस सामज में बच्चों की स्थिति का द्योतक है बल्कि ऐसे संवेदनशील संकेतक हैं जो उस राष्ट्र की सम्पूर्ण विकास की स्थिति को इंगित करते है। वस्तुतः यह स्थिति उनको प्रभावित करने वाले जटिल सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारकों को प्रतिबिंबित एवं सत्यापित करती है। विशेष रूप से जन्म के पाँच वर्षों के अंदर होने वाली मृत्यु का इन सामाजिक–आर्थिक कारकों के साथ घनिष्ठ संबंध है।

बिहार विगत वर्षों मे कई महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों का गवाह रहा है जिसमे इसकी छवि राष्ट्रीय परिदृश्य में कई हस्तक्षेपों को करने वाले प्रथम राज्य के रूप में उभरी है, परन्तु अभी भी विकास के अनेक प्रतिमानों पर यह दूसरे विकसित राज्यों से अपेक्षाकृत निम्न स्तर का प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में जाना जाता है। बिहार में समावेशी विकास के बाधक कारकों मे यहाँ समाज के व्याप्त सामाजिक वर्ग विभेद, प्रशासकीय कमियों, गरीबी, भूमिहीनता, अशिक्षता, पर्याप्त संसाधनों एवं आधारभूत संरचनाओं का अभाव, आर्थिक पिछड़ापन तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान इत्यादि प्रमुख है। प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर उच्च होने के कारण भूमि पर दबाव अधिक है। यद्यपि इस प्रदेश की मुख्य आजीविका कृषि होने के बावजूद रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में पुरूषों का पलायन यहाँ की प्रमुख समस्या है, जिसका सीधा प्रभाव परिवार की महिलाओं बुजुर्गों एवं बच्चों पर पड़ता है।

सूचक	बिहार
जनसांख्यिकी रूपरेखा (स्रोत : जणगणना 2011)	
जनसंख्या	10.41 करोड़
पुरूष जनसंख्या	54,278,157
महिला जनसंख्या	49,821,295
बच्चों (0–17 वर्ष) की जनसंख्या	4.75 करोड़ (कुल जनसंख्या का 46%)
कुल बच्चियों (0–17 वर्ष) की जनसंख्या	बच्चों (0–17 वर्ष) की कुल जनसंख्या का 47.5%
जनसंख्या वृद्धि	25.42%
लिंगानुपात	918

जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल आबादी का 46% बच्चे है जो भारत के किसी भी राज्य में सबसे अधिक है। तमाम प्रयासों के बावजूद बाल विवाह की दर में अपेक्षित कमी नहीं आई है। अभी भी बिहार की कुल 40.8% लड़कियों का विवाह निर्धारित आयु के पूर्व हो जाता है (स्रोतः NFHS-V), जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में यह प्रतिशत क्रमशः 27.9 तथा शहरी क्षेत्र 43.4 है। ये आँकड़े दर्शाते है कि राज्य के बच्चे विशेष तौर पर प्राकृतिक आपदाओं के समय और अधिक जोखिम की संभावनाओं से ग्रसित हो जाते है क्योंकि इस दौरान या इसके पश्चात भोजन की सुरक्षा का अभाव परिवार के बिछड़ जाने के कारण हुए मानसिक संत्रास का नकारात्मक प्रभाव उनके पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा तथा संरक्षण पर पड़ता है।

विभिन्न स्रोत पर आधारित राज्य में बच्चों से संबंधित संकेतकों की प्रक्षेत्रवार सूची :-

क्रम सं0	संकेतक	बिहार
पोषण (स्रोत–**NFHS V**)		
1	पाँच वर्ष से कम उम्र के उन बच्चों का प्रतिशत जिनका विकास अवरूद्ध है।	42.9%
2	पाँच वर्ष से कम उम्र के उन बच्चों का प्रतिशत जो उम्र की तुलना में नाटे कद के है।	22.9%
3	पाँच वर्ष से कम उम्र के उन बच्चों का प्रतिशत जिनका जो उम्र की तुलना में कम वजन कद के है।	41.0%
जन्म पंजीकरण (स्रोत–**NFHS V**)		
4	5 वर्ष तक की आयु के वैसे बच्चे जिनके जन्म का पंजीकरण किसी सिविल प्राधिकार द्वारा किया जा चुका है	75.6%
स्वास्थ्य (स्रोत–**NFHS V**)		
5	संस्थागत प्रसव	76.2%
6	पूर्ण टीकाकरण (0–5 आयु वर्ग के बच्चों का)	71.0%
7	मातृ मृत्यु अनुपात (स्रोतः SRS 2016-18)*	145
8	शिशु मृत्यु दर	46.8%
9	बाल मृत्यु दर (0–5 आयु वर्ग के बच्चों का)	56.4%
शिक्षा (स्रोत–**Cenus 2011 & U-DISE Report 2016-17**)		
10	महिला साक्षरता दर (स्रोतः जनगणना 2011)	53.3%
11	कुल नामांकन, प्राथमिक (स्रोतः U-DISE 2016-17)	21,719,464
12	18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता दर	79.54% (कुल) 76.95% (लड़की)

*नीति आयोग, भारत सरकार के वेबसाइट पर उपलब्ध

बिहार में बाल अधिकार संरक्षण के अन्य संकेतक

बाल श्रम

- बिहार में कुल बाल श्रमिकों (5–14 वर्ष आयु वर्ग) की संख्याः 12.9 लाख (देश के कुल बाल श्रमिकों का का 11%) स्रोत : जनगणना 2011
- राज्य में लगभग 59% बाल श्रम में घिरे बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते है।

दिव्यांगता

- जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कुल बच्चों में 1.8% बच्चे शारीरिक तौर पर किसी न किसी रूप से अक्षम है।

Juvenile delinquency in Bihar (Source : NCRB 2010 & 2019)		
Bihar		
Murder	**2010**	**2019**
Culpable homicide not amounting to murder	43	58
Rape	3	0
Kidnapping and Abduction	26	11
Dacoity	71	56
Robbery	16	6
Burglary	25	8
Theft	33	68
Riots	150	518
Criminal breach of trust	67	137
Cheating	0	0
Counterfeiting	1	11
Other IPC Crimes	0	0
Total cognizable crimes	258	0
	693	1412

4 विगत तीन वर्षों में आयोग के द्वारा किया गया कार्य

4.1 प्रमंडलीय भ्रमणः विस्तृत रिर्पोट

प्रोत्साहन, संरक्षण, निगरानी एवं अन्य कार्यों की परिधि मे तृतीय आयोग अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिये प्रयासरत रहा। आयोग के द्वारा किये गये हस्तक्षेपों में प्रमंडलीय भ्रमण अत्यंत महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है। इस दो दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम की अवधारणा यह थी कि प्रथम दिन आयोग की टीम प्रत्येक प्रमंडलों के संबंधित जिलों के अन्तर्गत स्थित बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न संस्थानों का भ्रमण करे तथा दूसरे दिन मुख्यालय के स्तर पर आयोजित बैठक में अपने अवलोकन के आधार पर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया जाय। यह भ्रमण बाल संरक्षण से जुड़े निम्नवत संस्थानों की कार्यप्रणाली एवं व्यवस्था के अवलोकन एवं उन्हें सुदृढ़ करने तथा सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करने पर केन्द्रित था –

- जिला बाल संरक्षण इकाई
- विशेष किशोर पुलिस इकाई
- बाल कल्याण समिति
- किशोर न्याय परिषद्
- शिक्षा विभाग
- समेकित बाल विकास परियोजना
- श्रम विभाग
- पंजीकृत चाईल्ड लाईन
- चिकित्सा विभाग
- अन्य संबंधित विभाग

उपरोक्त के आधार पर तृतीय आयोग द्वारा 2017-18 में राज्य के प्रत्येक प्रमंडलों का दौरा किया गया, जिसकी तालिका निम्नवत है -

दिनांक	प्रमंडल	भ्रमण टीम सदस्यगण
21–22 जून 2017	मुंगेर	माननीय अध्यक्ष डॉ0 हरपाल कौर माननीय सदस्यगण – श्री पंकज सिन्हा, श्री विजय कुमार रौशन, श्रीमती उषा देवी, श्रीमती प्रमिला सिंह, श्री परमहंस कुमार
23–24 जून 2017	भागलपुर	माननीय अध्यक्ष डॉ0 हरपाल कौर माननीय सदस्यगण – श्री पंकज सिन्हा, श्री विजय कुमार रौशन, श्रीमती उषा देवी, श्रीमती प्रेमा शाह, श्रीमती प्रमिला सिंह, श्री परमहंस कुमार
03–04 जुलाई 2017	पूर्णिया	माननीय अध्यक्ष डॉ0 हरपाल कौर माननीय सदस्यगण – श्री पंकज सिन्हा, श्री विजय कुमार रौशन, श्रीमती उषा देवी, श्रीमती प्रेमा शाह, श्रीमती प्रमिला सिंह, श्री परमहंस कुमार
05–06 जुलाई 2017	कोशी	माननीय अध्यक्ष डॉ0 हरपाल कौर माननीय सदस्यगण – श्री पंकज सिन्हा, श्री विजय कुमार रौशन, श्रीमती प्रेमा शाह, श्री परमहंस कुमार
22–23 नवंबर 2017	तिरहुत	माननीय अध्यक्ष डॉ0 हरपाल कौर माननीय सदस्यगण – श्री पंकज सिन्हा, श्री विजय कुमार रौशन,
08–09 फरवरी 2018	मगध	माननीय अध्यक्ष डॉ0 हरपाल कौर माननीय सदस्यगण – श्री परमहंस कुमार, श्रीमती प्रमिला सिंह, एवं विधि परामर्शी श्री अजय कुमार
12–13 मार्च 2018	दरभंगा	माननीय अध्यक्ष डॉ0 हरपाल कौर माननीय सदस्यगण – श्रीमती प्रेमा शाह, श्री विजय कुमार रौशन एवं विधि परामर्शी श्री अजय कुमार
05–06 अप्रैल 2018	सारण	माननीय अध्यक्ष डॉ0 हरपाल कौर माननीय सदस्यगण – श्रीमती प्रमिला सिंह, श्री परमहंस कुमार एवं विधि परामर्शी श्री अजय कुमार
14–15 मई 2018	पटना	माननीय अध्यक्ष डॉ0 हरपाल कौर माननीय सदस्यगण – श्री पकंज सिन्हा, श्री विजय कुमार रौशन, श्रीमती उषा देवी, श्रीमती प्रेमा शाह एवं विधि परामर्शी श्री अजय कुमार

4.2 पुनः भ्रमण जिलावार निरीक्षण

आयोग ने प्रमंडलीय भ्रमण के कार्यक्रम के फॉलोअप के क्रम में प्रमंडलों में स्थित कुछ जिलों का पुनःभ्रमण किया। आयोग ने बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, अररिया तथा किशनगंज का जिलावार निरीक्षण कर इन जिलों में स्थित बाल गृहों, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान तथा पर्यवेक्षण गृहों का दौरा किया। इस क्रम में अवलोकित बिन्दुओं जैसे असंतोषजनक सफाई की व्यवस्था, सुरक्षा के लिये प्रावधान, कर्मियों का नियोजन, केसों का अतिशीघ्र निष्पादन, गृहों में कमरों को अतिक्रमण से मुक्त करा कर बच्चों के पढ़ने तथा मनोरंजन की व्यवस्था करने और खेल–कूद को प्रोत्साहित करने इत्यादि पर आयोग में संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पूर्णिया गोली कांड के बाद पुनःभ्रमण के क्रम में आयोग की अध्यक्ष ने सभी गृहों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिये मेटल डिटेक्टर की व्यवस्था करने का सुझाव दिया ताकि भविष्य में इस प्रकार की परिस्थितियों से बचा जा सके। पूर्णिया जिले में बालिका गृह के भ्रमण के क्रम में आयोग की अध्यक्ष ने लड़कियों के आर्थिक स्वाबलंबन के लिये चलाये जा रहे कौशल विकास कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त की तथा कहा कि आयोग समाज कल्याण विभाग से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें सिलाई मशीन उपलब्ध कराने की आवश्यकता से अवगत करायेगी। अध्यक्ष ने सभी गृह अधीक्षकों को निदेश दिया कि विशेष उत्सवों एवं राष्ट्रीय दिवसों के उपलक्ष्य पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये ताकि बच्चों की प्रतिभा विकसित हो सके।

4.3 स्थायी जांच दल

बच्चों के अधिकारों को संरक्षित करना तथा अधिकार हनन के मामले त्वरित जाँच, आवश्यक सहयोग/उपाय, अनुशंसा इत्यादि आयोग के दायित्व में शामिल है। इस सन्दर्भ में जाँच दल का गठन एवं उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कभी–कभी किसी कारणवश जाँच दल के गठन में देरी होने से बच्चों के अधिकार हनन की जाँच त्वरित गति से नहीं हो पाती है तथा शिकायत निष्पादन एवं उस संबंध में लिये जाने वाले निर्णय में देर हो जाती है। बिहार राज्य बाल अधिकार आयोग ने इस समस्या से निजात पाने के लिये एक स्थायी जाँच दल का गठन किया है। इस जाँच दल के गठन से आने वाले शिकायतों का त्वरित जाँच संभव हो पाता है तथा निर्णय ससमय लेने में आयोग को सुविधा होती है।

4.4 कार्यकारिणी बैठक

आयोग के कार्यों के सुचारू रूप से प्रबंधन एवं निष्पादन के लिये तथा बाल अधिकार के संरक्षण से संबंधित नवाचारों को अपनाने के संदर्भ में नियमित रूप से विचार विमर्श करने के लिये प्रत्येक तीन महीने पर आयोग के कार्यकारिणी की बैठक होती है। इस बैठक में बच्चों से संबंधित समसामयिक मुद्दों पर विचार विमर्श कर उनके प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिये संबंधित विभागों को निदेश प्रेषित किये जाते हैं। साथ ही बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित आयोग के कार्यक्षेत्र की परिधि में आने वाले सभी वैसे कार्यों का निष्पादन कर दिया जाता है जो आयोग के स्तर से किये जा सकते है।

4.5 बिहार दिवस में आयोग का स्टॉल

बिहार दिवस 2018 के उपलक्ष्य पर आयोजित तीन दिवसीय समारोह में आयोग की ओर से एक स्टॉल लगा कर बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित जानकारियाँ दी गई एवं आयोग के हस्तक्षेपों के बारे बच्चों एवं अभिभावकों को जागरूक किया गया। साथ हीं बाल अधिकारों पर लोगों को जागरूक करने के लिये नुक्कड़–नाटक का प्रस्तुतिकरण भी किया गया। काफी संख्या में बच्चों एवं अभिभावकों ने इस स्टॉल का भ्रमण किया, अनेक प्रश्न पूछे तथा आयोग से संपर्क करने की प्रणाली पर जानकारी प्राप्त की।

4.6 विद्यालय भ्रमण कार्यक्रम

राज्य के बच्चों के प्रोत्साहन, संरक्षण, निगरानी एवं अन्य कार्यों की परिधि में बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग अपने दायित्वों के निवर्हन के लिये सदैव प्रयासरत रहा है। वर्ष 2019 में आयोग के द्वारा प्रारंभ किये गये हस्तक्षेपों

में फरवरी माह में किया गया स्कूल भ्रमण कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप रहा है है। इसके अन्तर्गत दिनांक 20 फरवरी 2019 तक पटना शहर अन्तर्गत विभिन्न चयनित विद्यालयों, जिसमें सरकारी एवं निजी दोनों प्रकार के विद्यालय शामिल थे, का भ्रमण कर जांच एवं अनुश्रवण का कार्य संपादित किया गया। इस एकदिवसीय भ्रमण कार्यक्रम की अवधारणा यह थी कि चयनित विद्यालयों में भ्रमण कर बच्चे के हितों में उनकी कार्यप्रणाली एवं व्यवस्था का अवलोकन तथा विद्यालय के कैंटीन की साफ–सफाई एवं वहाँ परोसे जा रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की जाये। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में भारत कुपोषण के त्रिस्तरीय बोझ (Triple Burden) का सामना कर रहा है। अर्थात जहाँ एक ओर पोषक तत्त्वों एवं माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी को एक बड़ी समस्या के रूप में देखा जा रहा है वहीं अत्यधिक कैलोरीयुक्त खाद्य पदार्थों के सेवन के कारण अधिक वजन एवं मोटापे की समस्या भी समान रूप से देखी जा रही है।

इस प्रकार आयोग द्वारा विद्यालयों की जांच का कार्य मुख्यतः तीन निम्न आयामों पर केन्द्रित था–

(1) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के दिशानिर्देश के आलोक में कैंटीन की साफ–सफाई एवं खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का अवलोकन करना।

(2) शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2008 के अन्तर्गत विद्यालयों के द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की स्थिति की जानकारी प्राप्त करना।

(3) बच्चों में बाल यौन शोषण से बचाव हेतु विद्यालय के द्वारा कराये जा रहे गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करना।

(4) विद्यालयों में अपनाये जा रहे नवाचारों को सूचीबद्ध करना तथा उन्हें प्रदेश के अन्य विद्यालयों में लागू करने की अनुशंसा करना।

उपरोक्त के आलोक में आयोग में त्रिसदस्यीय जांच दल का गठन किया गया। प्रत्येक जांच दल में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दो माननीय सदस्यगण एवं तकनीक विशेषज्ञ के तौर पर यूनिसेफ बिहार के एक परामर्शी शामिल किये गये। भ्रमण से पूर्व आयोग के कार्यालय मे तकनीकि विशेषज्ञों के माध्यम से संबंधित विषयों पर सदस्यों का उन्मुखीकरण कराया गया तथा अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान की गई। भ्रमण के लिये आवश्यक दस्तावेजों में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशानिर्देश के साथ संलग्न मूल्यांकन प्रपत्र की प्रतियाँ शामिल किये गये। साथ हीं भ्रमण के दूसरे आयाम पर सूचना प्राप्त के लिये शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009, बिहार रूल के तहत विकसित प्रपत्र के आधार पर आयोग के द्वारा एक प्रपत्र विकसित किया गया। इस भ्रमण के पूर्व तैयारी के क्रम में चिह्नित विद्यालयों को एक पत्र प्रेषित किया गया जिसमें एक संभावित अवधि में उक्त विद्यालय में आयोग द्वारा प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम का उल्लेख किया गया। विद्यालय भ्रमण कार्यक्रम का सूचीवार विवरण निम्नवत है–

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम	जाँच की तिथि	जाँच दल के सदस्य
1	जवाहर नवोदय विद्यालय पटना	12.02.2019	मा0 सदस्य श्री विजय कुमार रौशन एवं श्रीमती उषा देवी, श्री अजय कुमार, विधि परामर्शी, यूनिसेफ
2	नोट्रेडेम एकेडमी, पटना	12.02.2019	मा0 सदस्य श्री परमहंस कुमार एवं श्रीमती प्रेमा शाह, श्रीमती रश्मि झा, परामर्शी, यूनिसेफ
3	संत माईकल स्कूल, पटना	13.02.2019	मा0 सदस्य श्री पंकज सिन्हा एवं श्रीमती प्रमिला सिंह, श्रीमती रश्मि झा, परामर्शी, यूनिसेफ एवं श्रीमती सुमन सिन्हा, बाल संरक्षण पदाधिकारी
4	संत जेवियर्स स्कूल, पटना	13.02.2019	मा0 सदस्य श्री परमहंस कुमार एवं श्रीमती प्रेमा शाह, श्रीमती रश्मि झा, परामर्शी, यूनिसेफ
5	माउंट कार्मेल हाई स्कूल, पटना	14.02.2019	मा0 सदस्य श्री विजय कुमार रौशन एवं श्रीमती उषा देवी, श्रीमती रश्मि झा, परामर्शी, यूनिसेफ
6	आचार्य सुदर्शन पटना सेन्ट्रल स्कूल, पटना	14.02.2019	मा0 सदस्य श्री पंकज सिन्हा एवं श्रीमती प्रमिला सिंह, श्री अजय कुमार, विधि परामर्शी, यूनिसेफ
7	डी.पी.एस. पब्लिक स्कूल, पटना	18.02.2019	मा0 सदस्य श्री विजय कुमार रौशन एवं श्रीमती उषा देवी, श्रीमती रश्मि झा, परामर्शी, यूनिसेफ

8	डॉन बास्को एकेडमी, पटना	18.02.2019	मा0 सदस्य श्री पंकज सिन्हा एवं श्रीमती प्रमिला सिंह, श्रीमती रश्मि झा, परामर्शी, यूनिसेफ
9	कस्तूरबा गाँधी बालिका उच्च विद्यालय, पटना	20.02.2019	मा0 सदस्य श्री पंकज सिन्हा एवं श्रीमती प्रमिला सिंह, श्रीमती रश्मि झा, परामर्शी, यूनिसेफ
10	लोयला हाई स्कूल, पटना	20.02.2019	मा0 सदस्य श्री परमहंस कुमार एवं श्रीमती प्रेमा शाह, श्री अजय कुमार, विधि परामर्शी, यूनिसेफ एवं श्रीमती सुमन सिन्हा, बाल संरक्षण पदाधिकारी

5. कार्यशालायें/सेमिनार/प्रशिक्षण/चर्चा/जागरूकता कार्यक्रम में आयोग की उपस्थिति

क्र0 सं0	दिनांक	बैठक/कार्यशाला/सेमिनार/प्रशिक्षण चर्चा/जागरूकता कार्यक्रम	प्रतिभागी
1	20.11.2017	विधान परिषद् सभागार में अन्तराष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस पर बच्चों के अधिकारों के कार्यान्वयन हेतु बैठक	माननीय अध्यक्ष
2	22.12.2017	होटल चाणक्या में बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं यूनिसेफ, बिहार के संयुक्त तत्वाधान में "The State of the world's Children : Children in the digital world" विषय पर आयोजित सेमिनार	माननीय अध्यक्ष/सचिव महोदया/माननीय सदस्य
3	06 एवं 07.01.2018	RTE पर APCL द्वारा आयोजित दो दिवसीय राज्य –स्तरीय कार्यशाला	बाल संरक्षण पदाधिकारीगण
4	30.04.2018	"उत्कर्षः एक पहल" नामक संस्था द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु आयोजित एक दिवसीय सेमिनार, बी.डी. कॉलेज, मीठापुर, पटना	माननीय सदस्य/श्रीमती प्रमिला सिंह/श्रीमती उषा देवी
5	30.04.2018	बाल श्रम उन्मूलन दिवस पर श्रम संसाधन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम, अधिवेशन भवन, पटना	माननीय सदस्य, श्री परमहंस कुमार/श्री पंकज सिन्हा
6	10.05.2018	उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला	माननीय सदस्य श्रीमती उषा देवी
7	29.06.2018	विद्यालयों में शारीरिक दंड को समाप्त करने हेतु राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आयोजित एक दिवसीय अभिमुखी कार्यशाला	माननीय सदस्यगण श्री परमहंस कमार, श्रीमति उषा देवी एवं बाल संरक्षण पदाधिकारी
8	28.07.2018	जे.जे. एक्ट एवं पॉक्सो एक्ट के कार्यान्वयन का CPCR एक्ट 2005 के तहत अनुश्रवण के बिन्दुओं पर आयोजित कार्यशाला, गुलमोहर हॉल, इंडिया हैबिटेट सेन्टर, लोदी रोड, नई दिल्ली	माननीय अध्यक्ष/सचिव महोदया /माननीय सदस्य, श्री पंकज सिन्हा
9	13 एवं 14.09.18	केयर इंडिया एवं बिहार शिक्षा परियोजना का संयुक्त तत्वाधान में विद्यालय से बाहर के चिन्हित बच्चों के लिए समुचित रणनीति तय करने हेतु दो दिवसीय कार्यशाला, होटल गार्गी ग्रैंड, एक्जिविशन रोड, पटना	माननीय अध्यक्ष/सचिव/ माननीय सदस्य, श्री परमहंस कुमार

10	09 एवं 10.10.18	दो दिवसीय अनुशिक्षण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, शेखपुरा	माननीय सदस्यगण श्रीमती प्रमिला सिंह एवं श्रीमती उषा देवी
11	27.10.18	"Women and Child Protection Over Indian Railways" विषय पर महेन्द्रु घाट, पटना में आयोजित कार्यक्रम	माननीय सदस्यगण श्रीमती प्रमिला सिंह एवं श्रीमती प्रेमा शाह
12	03.11.2018	बाल अधिकार पर मलिन बस्ती में जागरूकता कार्यक्रम	माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्य श्रीमति प्रेमा शाह
13	04.11.2018	बिहार जुडिशियल एकेडमी के द्वारा "Effective Implementation of the JJ Act 2015 with focus on Children and Institutional Care, Role and Function of Children Court" विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला	माननीय अध्यक्ष एवं सचिव
14	02.12.2018	NCPCR द्वारा "Function of SCPCR" पर अयोजित कार्यशाला, Speaker Hall, Constitution Club of India, नई दिल्ली	माननीय सदस्यतगण श्रीमति प्रमिला सिंह एवं श्रीमती उषा देवी

यूनिसेफ के सहयोग से ''बच्चों के डिजिटल सुरक्षा पर'' आयोजित कार्यशाला

बिहार में विगत वर्षों में नये परिवर्तन हुए है जिससे राज्य का परिदृश्य पूर्णतः बदल गया है। सड़कों पर समूह में साईकिल से स्कूल जाती हुई बालिकाएँ, डिजिटल तकनीक से कक्षाओं का परिचालन तथा बच्चों के जिज्ञासाओं पर वैज्ञानिकता के आधार पर प्रदान की जाने वाली सूचनाओं ने बिहार के युवाओं में एक नई उर्जा का संचार किया हैं। परन्तु यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ऐसे परिवर्तन समाज में नई चुनौतियाँ भी उत्पन्न करते हैं। इन्हीं चुनौतियों पर बच्चों को जागरूक करने के उद्देश से दिनांक 22 दिसंबर 2018 को यूनिसेफ व बाल संरक्षण आयोग के संयुक्त तत्वाधान में ''बच्चों की डिजिटल सुरक्षा'' जैसे महत्वपूर्ण विषय पर एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें यूनिसेफ के वैश्विक रिर्पोट 'डिजिटल दुनिया में बच्चे के तथ्यों को सबके सामने रखा गया। यूनिसेफ वैश्विक स्तर पर बच्चों की स्थिति पर रिर्पोट जारी करता है, पहली बार डिजिटल तकनीक के प्रभावों पर प्रकाशित यह रिर्पोट उसी की एक कड़ी का एक हिस्सा था।

इस अवसर पर साइबर क्राइम के पुलिस महानिरीक्षक जितेन्द्र सिंह गंगवार ने कहा कि वर्तमान में बिहार में साइबर क्राइम की घटनायें काफी बढ़ गई हैं। बिहार बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ0 हरपाल कौर ने बच्चों से आग्रह किया कि इंटरनेट के प्रयोग के दौरान बच्चे सर्तक एवं सुरक्षित रहें। यह माता–पिता, अभिभावक एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि बच्चों को डिजिटल मीडिया के सुरक्षित प्रयोग के बारे में जानकारी दें। कार्यशाला में साईबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने बच्चे के साथ गहराई से चर्चा की तथा उन्हें जानकारी दी कि वे अपना प्रोफाइल पब्लिक न रखें और सुरक्षा के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सेटिंग का इस्तेमाल करें। इसके लिये सेटिंग में 'टू स्टेप वेरीफिकेशन' ऑन रखना आवश्यक है। इस अवसर पर 12 सरकारी एवं 5 निजी विद्यालयों से काफी संख्या में बच्चे उपस्थित थे जिन्होंने डिजिटल सुरक्षा पर आयोजित इस कार्यशाला को अत्यंत प्रासंगिक बताया।

'विश्व बाल दिवस 2017' के अवसर पर एडोलेसेंट कॉन्क्लेव का आयोजन

विश्व बाल दिवस के अवसर पर दिनांक 20 नवंबर 2017 को महिला विकास निगम, बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं युनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में बिहार विधान परिषद् के सभागार में एडोलेसेंट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। बच्चों के लिये इस वैश्विक समारोह का थीम इस वर्ष "बदलाव के कदम, बच्चों के लिये, बच्चों के संग" था। इस कॉन्क्लेव में सैकड़ों की संख्या में बच्चे मौजूद थे जिन्होनें स्वास्थ्य एवं पोषण की सुनिश्चितता एवं शिक्षा, कौशल तथा खेल के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल देते हुए अपने विचार प्रस्तुत किये। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधान परिषद् के कार्यकारी सभापति हारून रशीद ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज के सभी तबके के बच्चों सहित हर एक व्यक्ति को यह प्रण लेना चाहिये कि वह दहेज का आदान–प्रदान हुए शादियों का बहिष्कार करें। इस अवसर पर आयोग की माननीय अध्यक्ष सहित सभी सदस्यगण मौजूद रहे।

'विश्व बाल दिवस 2018' के उपलक्ष्य पर आयोजित समारोह एवं परामर्श कार्यशाला

दिनांक 20 नवंबर 2018 को विश्व बाल दिवस के उपलक्ष्य में यूनिसेफ एवं चाणक्या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में समारोह सह परामर्शी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आयोग के माननीय सदस्य श्री परमहंस कुमार एवं श्री पंकज सिन्हा शामिल हुए। इस अवसर पर चाणक्या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में 'बाल अधिकार केन्द्र' का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय चौधरी ने किया। इस अवसर पर बच्चों को संबोधित करते हुए आयोग के माननीय सदस्य श्री परमहंस कुमार ने कहा कि बच्चों को संरक्षण की विशेष आवश्यकता होती है, राज्य सरकार ने बच्चों के संरक्षण के प्रति आयोग को अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ सौंपी हैं। इन जिम्मेदारियों के निर्वहन के प्रति आयोग पूर्णतया प्रतिबद्ध है। हर बच्चे में विकास की पूर्ण संभावनायें होती हैं। यह समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि बच्चों को बिना किसी भेदभाव के विकास के सारे अवसर उपलब्ध कराये जायें।

उद्घाटन के पश्चात आयोजित परामर्शी कार्यशाला बच्चों के सहभागिता के आयाम पर केन्द्रित थी, जिसमें बच्चों एवं हितधारकों को विभिन्न समूह बनाकर विद्यालयों को बच्चों के लिये सुरक्षित बनाने पर उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया गया।

अतिक्रमण हटाओ को लेकर मलीन बस्ती के बच्चों की शिकायतों को सुनना

दिनांक 15 अक्टूबर 2018 को बाल अधिकार संरक्षण आयोग के परिसर में पटना शहरीय क्षेत्रों के मलीन बस्ती में रहने वाले प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों के लगभग 200 की संख्या में स्कूली बच्चे एकत्रित हुए जो अतिक्रमण मुक्ति अभियान के कारण बेघर होकर स्कूल नहीं जा पा रहे थे। बच्चों ने आत्मविश्वास के साथ आयोग के समक्ष अपनी बातों को रखा एवं आयोग को एक ज्ञापन सौंपा, जिस पर माननीय अध्यक्ष एवं आयोग के अन्य पदाधिकारियों ने आवश्यक हस्तक्षेप करने का आश्वासन दिया।

माननीय अध्यक्ष डॉ0 हरपाल कौर ने बच्चों के आत्मविश्वास की सराहना करते हुए कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं। आयोग बिहार सरकार बच्चों के बेहतर भविष्य के लिये प्रतिबद्ध है इसलिये आयोग का गठन किया गया है। बच्चे अपने बातों को बेहिचक आयोग के समक्ष रख सकते हैं जिससे आयोग संबंधित विभागों को अवगत कराकर आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेश जारी करेगा। माननीय अध्यक्ष ने बाल अधिकार के अन्य आयामों पर भी चर्चा की।

मलिन बस्ती के बच्चों एवं अभिभावकों के लिये जागरूकता कार्यक्रम में आयोग की भागीदारी

आयोग की माननीय अध्यक्ष डॉ0 हरपाल कौर एवं माननीय सदस्य श्रीमती प्रेमा शाह दिनांक 3 नवंबर 2018 को पटना शहर में चलाये जा रहे अतिक्रमण मुक्ति अभियान के कारण मलिन बस्ती के प्रभावित घरों के बच्चों एवं अभिभावकों के लिये आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुईं। इस कार्यक्रम का आयोजन मलिन बस्ती के समाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया था। माननीय अध्यक्ष ने इस अवसर पर आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि इन बस्तियों के बच्चों के स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा के लिये किया जाने वाला उनका प्रयास

प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि आयोग बच्चों को होने वाली समस्या से सरकार को अवगत करायेगी ताकि उनके लिये सुरक्षित पुनर्वास की व्यवस्था की जा सके। उन्होंने अभिभावकों को शिक्षा के महत्व के विषय में बताया तथा बेटा एवं बेटी में विभेद न करने की बात की।

आयोग की माननीय सदस्य श्रीमती प्रेमा शाह ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों में अपार संभावनायें हैं, इन संभावनाओं को तलाशना और तराशना आवश्यक है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आयोग इसके लिये आवश्यक हस्तक्षेप करेगी। साथ हीं उन्होंने बच्चों को उनके साथ हो रहे किसी भी प्रकार का शोषण को नहीं सहने तथा अपने माता–पिता या अन्य अभिभावक को जानकारी देने की बात कही। इस अवसर पर स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे तथा बच्चों ने भी अपनी बातों एवं अपने दृष्टिकोण को सबके समक्ष रखा।

मिडिया की नजर में प्रमंडलीय भ्रमण

बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष ने की समीक्षात्मक बैठक

ों को नैतिक शिक्षा देना जरूरी :

...यारी. फीस को लेकर आयोग ने डीइओ से मांगी रि

नेजी स्कूलों पर कसेगा शिकं

बच्चों के कल्याण की योजनाओं में कोताही बर्दाश्त नहीं : डॉ. कौर

बाल अधिकार संरक्षण आयोग की प्रमंडल स्तरीय बैठक में योजनाओं की हुई समीक्षा

बाल विकास की योजनाओं की चर्चा

सर्किट हाउस में बच्चों की समीक्षा करती आयोग की अध्यक्ष.

6-जून-17 सहरसा

बाल संरक्षण आयोग ने की समीक्षा, दिये निर्देश

सहरसा. स्थानीय परिषद में बाल संरक्षण आयोग अध्यक्षा डॉ हरपाल कौर के नेतृत्व सदस्यों ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. अध्यक्षा ने बालगृह, चाइल्ड लाइन, आंगनबाड़ी ट्रेनिंग सेंटर संचालन की समीक्षा करते हुए बेहतर संचालन का निर्देश दिया. वहीं आयोग की अध्यक्षा अपने सदस्यों के साथ बालगृह जाँच के लिए पहुंची. जहां बच्चों से जानकारी ली व व्यवस्था पर खुशी जाहिर की. इसके बाद टीम चाइल्ड लाइन व आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केंद्र पहुंची जहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रही सेविकाओं को नसीहत देते कहा कि आंगनबाड़ी की काफी शिकायतें सुनने को मिल रही है. आज जब अपने केंद्र में कार्य प्रारंभ करे तो इन सभी शिकायतों को दूर करने के लिए काम करें. वहीं टीम दत्तक गृह संस्थान भी पहुंची...

समय-समय पर विशेष बैठक कर बाल अधिकारों की रक्षा में आ रही बाधाओं को करें दूर : डॉ. कौर

- बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष ने प्रमंडलस्तरीय बैठक में दिया निर्देश
- डीएम ने सभी अधिकारियों को अपने-अपने विभाग की रिपोर्ट आयोग को भेजने के लिए कहा

पटना। बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. हरपाल कौर ने पटना स्थित विभिन्न बाल सुधार गृहों में रहने वाले बच्चों की स्थिति को दयनीय बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बेसहारा, लाचार एवं किशोर न्याय अधिनियम के तहत रखे गए बच्चों के

05 हिन्दुस्तान

बच्चों को पढ़ाएं नैतिक शिक्षा का पाठ : हरपाल

पर्यवेक्षण गृह का दूसरी जगह होगा स्थानांतरण

...ूलों में रसोईघर की हो नियमित जांच: प्रति...

बाल अधिकारों के प्रति बनें संवेदनशील

दैनिक जा० 23/6/17

बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने की प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक अधिकारियों को दिए निर्देश

6. मुख्य उपलब्धियाँ

6.1 आयोग को आर.टी.ई. के तहत वर्ष 2016-17, 2018-19 एवं 2019-20 में बच्चों के नामांकन से संबंधित जिलों से प्राप्त विवरण :-

क्रम सं0	जिला का नाम	कुल विद्यालय की संख्या	विद्यालय में नर्सरी / प्रथम वर्ग में नामांकित कुल बच्चों की संख्या	आर.टी.ई. तहत नामांकित बच्चों की संख्या	आर.टी.ई. में नामांकित का प्रतिशत	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	जमुई वर्ष–2016–17 वर्ष–2018–19 वर्ष–2019–20	 72 72 76	 3107 2528 2992	 569 572 643	 18.31 22.60 21.49	
2	बक्सर वर्ष–2016–17 वर्ष–2018–19	 45 45	 2015 2125	 312 384	 15.50 18	
3	रोहतास वर्ष–2016–17 वर्ष–2018–19	 259 312	 4228 2852	 1091 699	 25.40 24.50	
4	किशनगंज वर्ष–2016–17 वर्ष–2018–19	 53 54	 2255 2298	 573 545	 25.40 23.70	
5	सीतामढ़ी वर्ष–2016–17 वर्ष–2018–19	 157 209	 7989 10683	 1557 2299	 19.50 22	
6	नवादा वर्ष–2016–17 वर्ष–2018–19 वर्ष–2019–20	 174 232 262	 8399 11136 12300	 2089 2712 3075	 24.87 24.35 25	
7	मुंगेर वर्ष–2016–17	 13	 120	 28	 23.33	
8	जहानाबाद वर्ष–2016–17 वर्ष–2019–20	 31 94	 2180 4862	 474 1192	 21.75 24.70	
9	खगड़िया वर्ष–2016–17	 30	 1269	 293	 23.09	
10	कटिहार वर्ष–2016–17	 105	 6213	 1018	 16.40	

11	लखीसराय वर्ष–2016–17 वर्ष–2019–20	58 95	1931 4371	433 1082	22.42 24.07	
12	बांका वर्ष–2016–17 वर्ष–2019–20	66 74	3915 3494	910 893	23.25 25	
13	भागलपुर वर्ष–2016–17	54	3926	800	20.38	
14	शेखपुरा वर्ष–2016–17 वर्ष–2019–20	44 63	1950 2762	415 609	21.30 22	
15	पश्चिम चम्पारण (बेतिया) वर्ष–2016–17 वर्ष–2019–20	93 134	4772	1065	22	
16	बेगूसराय वर्ष–2016–17	274	7472	1868	25	
17	सिवान वर्ष–2016–17 वर्ष–2019–20	172 113	10315 5290	2563 1286	24.85 24	
18	शिवहर वर्ष–2016–17	42	883	216	24.50	
19	गोपालगंज वर्ष–2016–17	198	10140	2065	20.37	
20	अररिया वर्ष–2016–17 वर्ष–2018–19 वर्ष–2019–20	129 282 238	5901 9498 8246	1443 2373 2058	24.50 25 25	
21	दरभंगा वर्ष–2016–17	161	5412	1353	25	
22	औरंगाबाद वर्ष–2016–17	26	2104	528	25	
23	पुर्णिया वर्ष–2018–19	105	3663	878	23.90	
24	मधेपुरा वर्ष–2018–19	28	1714	422	24.60	
25	अरवल वर्ष–2019–2020	46	2185	499	22.80	
31	सारण वर्ष–2019–2020	25	1564	273	17.50	
33	सहरसा वर्ष–2019–2020	94	4440	1003	22.59	

पोक्सो अधिनियम को लागू करने के लिए मानक/निगरानी प्रारूप रिपोर्टिंग एजेंसी : डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वर्षवार विवरण (2018)

District	No of cases filed									Offender			No. of cases reported to CWC	No. of cases for which emergency medical care provided	No. of cases for which medical examination	Assessment report of CWC obtained	Information sent to Spl. Court (Y/N)	No. of cases disposed
	Under IPC only			Under POCSO only			IPC & POCSO											
	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Male	Female	Total						
Araria																		
Arwal							1	3	4	13		13			3			6
Aurangabad							1	44	45	92	8	100		1	12		YES	6
Banka																		
Begusarai							4	20	24	54	1	55	22	23	23		YES	
Bhagalpur																		
Bhojpur																		
Buxar								20	20	39	4	43			6			16
Darbhanga							3	32	35	94	26	116					30	2
Gaya								12	12	22	3	25					YES	
Gopalganj																		
Jamui							22	1	23	27	1	28						4
Jehanabad								16	14	34	2	36	YES	YES	YES	YES	YES	NO
Kaimur																		
Katihar								33	33	109	15	133			16		YES	6
Khagaria																		
Kishanganj																		
Lakhisarai																		
Madhepura																		

Annual Report (2017-2020)
Presented by: Manaswin Media

Madhubani																		
Munger							1	17	8	4								12
Muzaffarpur																		
Nalanda								72	73	118	2	120		6	9		YES	21
Nawada																		
Paschim Champaran																		
Patna																		
Purvi Champaran					4	4	2	32	34	73	2	75	12					
Punia																		
Rohtas																		
Saharsa																		
Samastipur																		
Saran								26	26	41	1	42			17		YES	
Sheikhpura								40	40			75		11	29			2
Sheohar							5	44	49	95	13	115			3		YES	12
Sitamarhi								8	8	13		13					YES	7
Siwan							1	26	27	56	5	61			22		20	21
Supaul																		
Vaishali	3	12	15					6	6	20	1	21	4		4	2	YES	13
										30	8	38	15		3		15	

पोक्सो अधिनियम को लागू करने के लिए मानक/निगरानी प्रारूप रिपोर्टिंग एजेंसी : डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो

वर्षवार विवरण (2019)

District	No of cases filed									Offender			No. of cases reportted to CWC	No. of cases for which emergency medical care provided	No. of cases for which medical examination	Assessment report of CWC obtained	Information sent to Spl. Court (Y/N)	No. of cases disposed
	Under IPC only			Under POCSO only			IPC & POCSO											
	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Male	Female	Total						
Araria																		
Arwal																		1
Aurangabad								34	34	44	1	45		3	11		YES	4
Banka																		
Begusarai								9	9	28	8	36	2	3	3			3
Bhagalpur																		
Bhojpur																		
Buxar																		
Darbhanga							15	36	44	104	17	121			1	2	49	5
Gaya								5	5	8	2	10		1	1			2
Gopalganj																		
Jamui																		
Jehanabad								22	22	39	2	41		YES	YES	YES	YES	YES
Kaimur																		
Katihar							21	48	69	115	25	140			20			
Khagaria																		
Kishanganj		14	14		14	14		21	21	33	16	49			1			1

Annual Report (2017-2020)
Presented by: Manaswin Media

Lakhisarai																		
Madhepura																		
Madhubani																		
Munger							11	39	50	101	24	125		10	19			10
Muzaffarpur																		
Nalanda								51	51	128	3	113						7
Nawada																		
Paschim Champaran																		
Patna																		
Purvi Champaran		1	1				2	23	25	66	4	70					YES	
Punia																		
Rohtas				3	306	309	3	314	317	1029	11	1042	5		4			
Saharsa																		
Samastipur							5	22	27	46	3	49			1			
Saran																		
Sheikhpura								27	27	43	9	51					YES	
Sheohar																	YES	
Sitamarhi							1	18	18	33	15	42	14		13		12	20
Siwan																		
Supaul								6	6	28	2	30						4
Vaishali																		

पोक्सो अधिनियम को लागू करने के लिए मानक/निगरानी प्रारूप रिपोर्टिंग एजेंसी : डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो

वर्षवार विवरण (2020)

District	No of cases filed									Offender			No. of cases reportted to CWC	No. of cases for which emergency medical care provided	No. of cases for which medical examination	Assessment report of CWC obtained	Information sent to Spl. Court (Y/N)	No. of cases disposed
	Under IPC only			Under POCSO only			IPC & POCSO											
	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Male	Female	Total						
Araria																		
Arwal																		
Aurangabad	-	-	-	-	4	4	18	33	47	61	-	61	-	-	-	-	Yes	2
Banka																		
Begusarai							1	8	9	16	2	17	5	1	5	4	Yes	8
Bhagalpur																		
Bhojpur																		
Buxar																		
Darbhanga							8	36	44	125	17	142			39		Yes	9
Gaya							1	22	23	120		120		6	6	1	Yes	21
Gopalganj																		
Jamui							1	5	6	7	1	8					Yes	2
Jehanabad							1	15	16	25	1	25	2	3	4		Yes	4
Kaimur																		
Katihar							5	12	7	28	8	36			2		Yes	
Khagaria								2	2	2		2					Yes	
Kishanganj		39	39	1	40	41		40	40	69	46	110					Yes	

Lakhisarai																		
Madhepura																		
Madhubani																		
Munger							1	43	44	99	39	110		2	16		Yes	9
Muzaffarpur																		
Nalanda								61	61	156	2	142					YES	4
Nawada																		
Paschim Champaran							27	13	40								Yes	
Patna							1	12	13	20	5	25			13		Yes	3
Purvi Champaran		2	2				5	90	92	221	42	263			3		Yes	
Punia																		
Rohtas																		
Saharsa																		
Samastipur								26	26	76	7	82		1			Yes	
Saran		2	2				2	10	12	27		27					Yes	
Sheikhpura								31	31	83	6	91					Yes	3
Sheohar					1	1		3	3								Yes	1
Sitamarhi							1	36	37	85	2	87			28		Yes	22
Siwan							1	30	30	87	15	102	19				Yes	3
Supaul								1	1	1		1					Yes	2
Vaishali								16	16	41	3	44		1	6		Yes	4

7. आयोग द्वारा वर्ष 2018-2020 के दौरान निकाले गये प्रमुख दिशा-निर्देश/पत्रों की सूची

क्रम0 सं0	आयोग का पत्र	किसे भेजा गया	पत्रांक	दिनांक
वर्ष : 2018				
1	आयोग कार्यालय हेतु बच्चों की काउंसिलिंग हेतु हेल्प लाईन नं0 महिला हेल्प लाईन नं0 के संबंध में।	अपर सचिव–सह–निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय बिहार, पटना	358	16.04.2018
2	सरकारी अस्पतालों में गर्भवती माताओं को सरकार द्वारा दी जा रही मूलभूत सुविधाएं तथा पोषक आहार, प्रोत्साहन राशि आदि नहीं दिये जाने के मामले संज्ञान के संदर्भ में	प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना	217	14.03.2018
3	आँगनबाड़ी केन्द्रों में फैली कुव्यवस्था पर ध्यान आकृष्ट करने के संबंध में ताकि इसका लाभ मिल सके। (स्मार पत्र)	निदेशक, आई0 सी0 डी0 एस0 निदेशालय बिहार, पटना	216 351	14.03.2018 12.04.2018
4	साइबर क्राईम से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव जिनमें मुख्यतः हेल्प डेस्क की सुविधा, व्हाट्सप ऐप एवं फेसबक आदि क माध्यम से ऑनलाईन चैटिंग के दौरान सुरक्षात्मक उपाय तथा चाईल्ड पोर्नोग्राफी जैसे अपराध से बचाव हेतु हेल्प लाईन नं0 की सुविधा का उल्लेख किया गया। साथ ही दिल्ली सरकार द्वारा कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा **"हिम्मत ऐप"** जैसे ऐपलिकेशन उपलब्ध कराने का सुझाव दिये जाने के संबंध में।(स्मार पत्र)	अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा(साईबर क्राईम) बिहार, पटना	214 350	14.03.2018 12.04.2018
5	विद्यालयों में बच्चों की शिक्षा, पाठ्य–पुस्तकों की उपलब्धता तथा आई.टी.ई. एक्ट, 2009 के प्रावधानों का सही तरीके से अनुपालन नहीं किये जाने के संबंध में। (स्मार पत्र)	प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना	349 215	14.03.2018 12.04.2018
6	जन्म लेने से पहले ही महिलाओं की गर्भ में भ्रुण हत्या के संबंध में ।	प्रधान सचिव,स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना	223	14.03.2018
7	बाल विवाह एवं दहेज प्रथा जैसे कुरीतियों पर रोक लगाने एवं जागरूकता अभियान चलाने के संबंध में।	प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना	222	14.03.2018
8	दशहरा, छठ एवं अन्य सभी पर्व त्योहारों पर जिलें में आयोजित मेले इत्यादि में बच्चों की सुरक्षा हेतु एहतियात बरते जाने के संबंध में।	सभी जिला पदाधिकारी, बिहार	453 703	25.09.2017 13.12.2017
9	बच्चों एवं उनके अभिभावकों को बाल अधिकारों के प्रति शिक्षित एवं संवेदनशील बनाने हेतु अनुशंसा के संबंध में। (स्मार पत्र)	प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना	437 733	19.09.2017 20.12.2017

10	सड़कों पर परिवार के साथ रहने वाले बच्चों का आधार कार्ड बनवाने एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में।	सभी जिला पदाधिकारी, बिहार	758	09.08.2018
11	बाल तस्करी से संबंधित विषय पर चर्चा के आलोक में जिले के सभी प्रखंडों/पंचायतों/वार्डो में क्रमशः प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति/ पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति/ वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन किये जाने के संबंध में। (स्मार पत्र)	सभी जिला पदाधिकारी, बिहार	526 720	06.06.2018 26.07.2018
12	बाल तस्करी एवं बाल श्रमिकों के संबंध में धावा दल/निगरानी दल इत्यादि के कार्य प्रणाली को बेहतर करने के संबंध में। (स्मार पत्र)	प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना	524 719	06.06.2018 26.07.2018
13	स्कूलों में छुट्टियों के समय बच्चों के साथ सड़कों पर अनियंत्रित वाहनों से होने वाले दुर्घटनाओं से संबंधित तथा स्कूल की छुट्टी के समय बच्चों के निकलते वक्त यातायात को कुछ देर राकने के संबंध में। (स्मार पत्र)	पुलिस अधीक्षक, यातायात, बिहार, पटना	718	26.07.2018
14	शादी विवाह इत्यादि में अक्सर बाल श्रमिकों से कार्य कराये जाने के विषय पर शादी विवाहों में प्लेट धोने से लेकर बिजली का झाड़–फानूस उठाने तक के काम में बच्चों को शामिल करने पर रोक लगाने के संबंध में। (स्मार पत्र)	सभी जिला श्रम अधीक्षक, बिहार	540 717	08.06.2018 26.07.2018
15	18 से कम उम्र के बच्चों के द्वारा हवा हवाई रिक्शा/ऑटो चलाने वाले तथा कान में इयर फोन इत्यादि लगाकर वाहन चलाने से सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में।	पुलिस अधीक्षक, यातायात, बिहार, पटना	539	08.06.2018
16	'मोमो' गेम खेलने पर प्रतिबन्ध के विषय में।	सभी जिला पदाधिकारी	980	06.11.2018
17	राज्य में डेंगू से बच्चों के बचाव के प्रयासों को सुनिश्चित करने सन्दर्भ में दिशानिर्देश	सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी		

वर्ष : 2019				
1	एन.सी.पी.सी.आर. का पत्रांक–94310, दिनांक– 24.06.2019 द्वारा प्राप्त पटना जिला में आँगनवाड़ी केन्द्रों पर संज्ञान के संबंध में।	पत्रांक–, दिनांक–द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना/निदेशक आई.सी.डी.एस. निदेशालय,पटना/ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना को पत्र भेजा गया।	330	12.07.2019

2	एन.सी.पी.सी.आर. का पत्रांक–94318, दिनांक– 24.06.2019 द्वारा प्राप्त गया जिला में आँगनवाड़ी केन्द्रों पर संज्ञान के संबंध में।	जिला पदाधिकारी, गया/निदेशक आई.सी.डी.एस. निदेशालय,पटना जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, गया को पत्र भेजा गया।	347	25.07.2019
3	बाल अधिकार संरक्षण आयोग, भोपाल, मध्य प्रदेश के पत्र पर कारवाई करने के संबंध में।	जिला पदाधिकारी, किशनगंज/ पुलिस अधीक्षक, किशनगंज/ निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना को पत्र भेजा गया।	358	30.07.2019
4	भोजपुर जिला के अंतर्गत कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय के निरीक्षण में पाई गई कमी पर संज्ञान लेने के संबंध में।	जिला पदाधिकारी, भोजपुर/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, पटना/ निदेशक, आई.सी.डी.एस. निदेशालय, पटना को पत्र भेजा गया।	360	30.07.2019
5	एन.सी.पी.सी.आर. का पत्रांक–94294, दिनांक– 24.06.2019 द्वारा प्राप्त बेगूसराय जिला में आँगनवाड़ी केन्द्रों पर संज्ञान के संबंध में।	जिला पदाधिकारी, बेगूसराय/निदेशक आई.सी.डी.एस. निदेशालय,पटना जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बेगूसराय को पत्र भेजा गया।	361	30.07.2019
6	एन.सी.पी.सी.आर. का पत्रांक–94274, दिनांक– 24.06.2019 द्वारा प्राप्त अररिया जिला में आँगनवाड़ी केन्द्रों पर संज्ञान के संबंध में।	जिला पदाधिकारी, अररिया/निदेशक आई.सी.डी.एस. निदेशालय,पटना जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया को पत्र भेजा गया।	371	01.08.2019
7	एन.सी.पी.सी.आर. का पत्रांक–94306, दिनांक– 24.06.2019 द्वारा प्राप्त अरवल जिला में आँगनवाड़ी केन्द्रों पर संज्ञान के संबंध में।	जिला पदाधिकारी, अरवल/निदेशक आई.सी.डी.एस. निदेशालय,पटना/ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अरवल को पत्र भेजा गया।	372	01.08.2019
8	बाल कल्याण समिति (न्याय–पीठ) श्री गंगानगर से प्राप्त आवेदन पर कारवाई करने संबंध में।	पत्रांक–, दिनांक– द्वारा सभी जिला पदाधिकारी, बिहार एवं सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार को पत्र भेजा गया।	385	07.08.2019
9	एन.सी.पी.सी.आर. का पत्रांक–94302, दिनांक– 24.06.2019 द्वारा प्राप्त कैमूर जिला में आँगनवाड़ी केन्द्रों पर संज्ञान के संबंध में।	जिला पदाधिकारी, कैमूर/निदेशक आई.सी.डी.एस. निदेशालय,पटना/ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कैमूर को पत्र भेजा गया।	393	14.08.2019
10	एन.सी.पी.सी.आर. का पत्रांक–94298, दिनांक– 24.06.2019 द्वारा प्राप्त सीतामढ़ी जिला में आँगनवाड़ी केन्द्रों पर संज्ञान के संबंध में।	जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/निदेशक आई.सी.डी.एस. निदेशालय,पटना जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सीतामढ़ी को पत्र भेजा गया।	400	19.08.2019
11	प्रारंभिक बाल्यावस्था देख–रेख एवं शिक्षा (ECC) नीति बनाने के संबंध में बिहार बाल आवाज मंच, पटना का पत्रांक–2963, दिनांक–17.08.2019 के संबंध में।	अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग बिहार, पटना एवं श्री राजीव रंजन प्रांतीय समन्वयक, बिहार बाल आवाज मंच, मोहनपुर, पुनाईचक, पटना को पत्र भेजा गया।	418	30.08.2019

12	एन.सी.पी.सी.आर. का पत्रांक–99524, दिनांक– 30.08.2019 द्वारा प्राप्त बिहार में जिला मुजफ्फरपुर के आँगनवाड़ी केन्द्रों में 27 हजार कुपोषित होने के संबंध में।	जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/निदेशक आई.सी.डी.एस. निदेशालय,पटना/वरिष्ठ परामर्शदाता, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली को पत्र भेजा गया।	425	06.09.2019
13	स्कूल छोड़ने वाले ड्रॉपआउट बच्चों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में।	निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, पटना को पत्र भेजा गया।	450	19.09.2019
14	भीख मांगने वाले बच्चों का डाटा उपलब्ध कराने के संबंध में।	मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, सक्षम, अपना घर, बेली रोड, पटना को पत्र भेजा गया।	451	19.09.2019
15	शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुपालन के संबंध में आवश्यक, दिशा –निर्देश के संबंध में।	अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को पत्र भेजा गया।	452	19.09.2019
16	दिनांक–20.08.2019 को श्रीमती प्रमिला सिंह एवं श्रीमती उषा देवी, सदस्य द्वारा कस्तुरबा गांधी विद्यालय, भभुआ (सिंवो)/भगवानपुर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भगवानपुर का जांच प्रतिवेदन पर कारवाई के संबंध में।	जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ)/ जिला शिक्षा पदाधिकारी, कैमूर/ सिविल सर्जन, कैमूर को पत्र भेजा गया।	463	23.09.2019
17	श्रीमती प्रमिला सिंह एवं श्रीमती उषा देवी द्वारा पत्र, आंगनबाड़ी केन्द्र, गमहरिया के अनियमितता के संबंध में।	निदेशक, आई.सी.डी.एस. निदेशालय, पटना को पत्र भेजा गया।	464	23.09.2019
18	दिनांक– 21.08.2019 को श्रीमती प्रमिला सिंह एवं श्रीमती उषा देवी सदस्य द्वारा रोहतास जिला के आंगनबाड़ी केन्द्र गमहरिया, पिपरी/प्राथमिक विद्यालय, गमहरिया/कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय, सिमरी, सासाराम/ कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय, सुर्माबाद, सराय एवं बाल गृह, डिहरी रोहतास का जाँच प्रतिवेदन पर कार्रवाई करने के संबंध में।	जिला पदाधिकारी, रोहतास/ निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय पटना/जिला शिक्षा पदाधिकारी, रोहतास/सिविल सर्जन, रोहतास को पत्र भेजा गया।	465	23.09.2019
19	महात्मा गाँधी के 150 वीं जयन्ती के अवसर पर स्कूल तथा विश्वविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में।	सभी माननीय सदस्य एवं श्री अजय कुमार, विधि परामर्शी, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना को पत्र भेजा गया।	474	25.09.2019
20	दिनांक– 29.07.2019 बोर्ड बैठक में कस्तुरबा आवासीय विद्यालय का बजट बढ़ाने के प्रस्ताव के संदर्भ में।	श्रीमती उषा देवी, माननीय सदस्य, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग पटना को पत्र भेजा गया।	480	26.09.2019
21	दिनांक– 29.07.2019 बोर्ड बैठक में कस्तुरबा आवासीय विद्यालय का बजट बढ़ाने के प्रस्ताव के संदर्भ में।	श्रीमती प्रमिला सिंह, माननीय सदस्य, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग पटना को पत्र भेजा गया।	482	26.09.2019

22	महात्मा गाँधी के 150 वीं जयन्ती पर कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में।	माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली को पत्र भेजा गया।	532	05.11.2019
23	प्रारंभिक बाल्यावस्था देख–रेख एवं शिक्षा (ECC) नीति बनाने के संबंध में।	निदेशक, आई.सी.डी.एस. निदेशालय, बिहार, पटना को पत्र भेजा गया।	533	07.11.2019
वर्ष : 2020				
01	बच्चो का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के अंतर्गत अनिवार्य 25 प्रतिशत सीटों पर नामांकन नहीं लेने के संबंध में।	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को पत्र भेजा गया।	08	07.01.2020
02	बच्चो का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के अंतर्गत अनिवार्य 25 प्रतिशत सीटों पर नामांकन नहीं लेने के संबंध में।	सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार/ सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/ निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बिहार, पटना को पत्र भेजा गया।	96	17.03.2020
03	दिनांक–16.04.2020 को दैनिक समाचार पत्र दैनिक भाष्कर में प्रकाशित खबर "विधवा का हुआ निधन अंत्येष्टि को तैयार नहीं हुआ परिवार व समाज" के संबंध में।	जिला पदाधिकारी, नवादा को पत्र भेजा गया।	112	20.04.2020
04	दिनांक–17.04.2020 को दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित खबर मुजफ्फरपुर में दो बच्चों में ए.ई.एस. की पुष्टि चमकी बुखार से पाँच भर्ती के संबंध में।	जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को पत्र भेजा गया।	113	20.04.2020
05	जिलों में बच्चे के लैगिंक शोषण संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत दायर वाद से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।	सभी जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, बिहार को पत्र भेजा गया।	128	06.05.2020
06	बाल विवाह रोकने के संबंध में।	पुलिस अधीक्षक, सीतामढ़ी को पत्र भेज कर विवाह को रोका गया।	205	25.06.2020
07	सुरत से आ रही श्रमिक एक्सप्रेस को विलंब से पहुंचने के कारण बच्ची के मौत होने के संबंध में।	मंडल रेल प्रबंधक, डी.आर.एम., डी.आर.एम. कार्यालय, दानापुर/ मुगलसराय को संज्ञान लेते हुए पत्र निर्गत किया गया।	266	28.09.2020
08	लॉकडाउन की अवधि में स्कूल को खोलने एवं बच्चे की पिटाई करने के संबंध में।	जिला पदाधिकारी, लखीसराय को पत्र भेजा गया।	272	28.08.2020
09	कोविड–19/प्राकृतिक आपदा बाढ़ के कारण उत्पन्न संकट की परिस्थिति में योजनाबद्ध बाल तस्करी जैसे गंभीर मामलों की रोकथाम हेतु कार्रवाई के संबंध में।	सभी जिला पदाधिकारी/वरीय पुलिस अधिक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार को पत्र भेजा गया।	282	31.08.2020

8. वर्तमान आयोग द्वारा कोरोना महामारी के दौरान बाल संरक्षण हेतु किये गये कार्यों का विवरण

COVID-19 एक ऐसा स्वास्थ्य संकट है जिसका कुप्रभाव विश्व में बाल अधिकारों के व्यापक जोखिम के रूप में दिखाई देता है। वायरस का सामाजिक–आर्थिक प्रभाव प्रत्येक वर्ग के बच्चों के लिए किसी न किसी रूप से घातक साबित हो रहा है। Lockdown के कारण भारी संख्या में प्रवासी मजदूरों का परिवार बिहार लौट कर आये, जिनके साथ अच्छी संख्या में बच्चे भी थे। बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग प्रवासी परिवार के बच्चों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहा तथा प्रत्येक संबंधित इकाईयों से लगातार जानकारी प्राप्त करता रहा।

ऑनलाईन पढ़ाई के साथ बच्चों के डिजिटल सुरक्षा के खतरे उभर कर सामने आये। एक ओर जहाँ लाखों बच्चे स्कूल से पूरी तरह बाहर हो गये, वही दूसरी ओर बच्चों के साथ हिंसा या दुर्व्यवहार की घटनाओं की संभावना बढ़ गई। वैश्विक तौर पर यह देखा गया कि अत्यधिक संकटग्रस्त बच्चों के लिए, कोरोना के दौरान बढ़े हुए तनाव का स्तर कई दीर्घकालिक मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों के रूप में सामने आया। CHILDLINE के आंकड़े के अनुसार लॉकडाउन के तुरंत बाद से प्राप्त किये गए कॉल में 50% की वृद्धि देखी गई। कोरोना के दौरान बच्चों की सुरक्षा से जुड़े विषयों पर आधारित कई वेबिनार में आयोग की सहभागिता रही। इनमें से कुछ कार्यशाला बच्चों के साथ भी आयोजित हुई। साथ ही, आयोग की अध्यक्ष महोदया ने राज्य के बाल देखरेख संस्थानों के कर्मियों के लिये युनिसेफ के सहयोग से आयोजित वेबिनार में भी स्वयं शामिल होकर कर्मियों का मनोबल बढ़या।

दिनांक–17.11.2020 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली एवं अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग एवं अध्यक्ष, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना की अध्यक्षता में बच्चों के हितार्थ के लिए विभागीय स्तर पर ऑनलाईन बैठक की गई।

बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने COVID-19 में राज्य के बच्चों की सुरक्षा के निम्न एडवाइजरी एवं दिशानिर्देश जारी किये है, जो स्वास्थ्य और सुरक्षा चिंताओं को बनाए रखने और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने से सम्बंधित है–

1	1241.46161	राष्ट्रीय बाल अधिकार सरंक्षण आयोग, भारत सरकार द्वारा COVID-19 के आलोक में प्रवासी परिवारों के साथ चल रहे सड़कों पर रहने वालें तथा बाल देख–रेख संस्थानों में आवासित बच्चों को देखभाल एवं संरक्षण हेतु निर्गत एडवाईजरी के अनुपालन के संबंध में।	पत्रांक–110, दिनांक–16.04.2020 द्वारा सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, पटना/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, पटना/निदेशक, आई.सी.डी.एस. निदेशालय, पटना को पत्र भेजा गया।

2	3141.46161	COVID-19/प्राकृतिक आपदा बाढ़ के कारण उत्पन्न संकट की परिस्थिति में योजनाबद्ध बाल तस्करी जैसे गंभीर मामलों की रोकथाम हेतु निरोधात्मक कारवाई के संबंध में।	पत्रांक–282, दिनांक–31.08.2020 द्वारा सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/वरीय पुलिस अधीक्षक, बिहार को पत्र भेजा गया।
3	6.41.46161	COVID-19 के संकट की अवधि में विभिन्न राज्यों से पलायन कर आने वाले बच्चों के सुरक्षा तथा संरक्षण के संबंध में।	पत्रांक–156, दिनांक–24.05.2020 द्वारा सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/पुलिस अधीक्षक, बिहार को पत्र भेजा गया।
4	11412.61461	COVID-19 के संदर्भ में बच्चों के शिक्षा का अधिकार के साथ–साथ सुरक्षा के अधिकार के संरक्षण के संदर्भ में दिशा–निर्देशों का अनुपालन के संबंध में।	पत्रांक–180, दिनांक–10.06.2020 द्वारा अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, पटना/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, पटना/अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, पटना को पत्र भेजा गया।
5	6.41.46161	प्रवासी बिहारियों के बच्चे को सरकारी स्कूलों में दाखिल करने के संबंध में।	पत्रांक–269, दिनांक–28.08.2020 द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,बिहार को पत्र भेजा गया।
6	1241.46161	COVID-19 महामारी एवं AES/JE से बच्चों के बचाव हेतु विभागीय स्तर पर किये गये कार्यों की विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में।	पत्रांक–140, दिनांक–19.05.2020 द्वारा अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, पटना/अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, पटना/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, पटना/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, पटना एवं संबंधित अन्य विभागों को पत्र भेजा गया।
7	1.412.46161	COVID-19 के दौरान स्कूल के बच्चों को online शिक्षा के संबंध में।	पत्रांक–315, दिनांक–15.09.2020 द्वारा अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, पटना को पत्र भेजा गया।

9. आगामी कार्य योजना

आयोग के कार्य, भूमिका एवं दायित्वों का बच्चों से जुड़े विभिन्न अधिनियमों में लिपिबद्ध कर विधि प्रदत्त जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ–साथ विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों को लागू कराना, उनका विधि संगत अनुश्रवण करना तथा बाल अधिकारों को गॉव–गॉव तक पहुँचाना आयोग के मुख्य लक्ष्यों में होगा। बाल अधिकार के हनन के मामलों का समुचित संज्ञान, निर्णय एवं अनुशंसा आयोग के प्रमुख दयित्वों में है और आयोग इस कार्य को पूर्ण सक्षमता, दृढ़ता एवं सूक्ष्मता से कर पाएगा।

राज्य के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बाल अधिकारों को प्रतिस्थापित करने एवं उसके हनन को रोकने में लगे हैं, यह प्रशंसनीय है और आयोग उन कार्यों को यथा शराबबंदी, दहेज प्रथा के रोकथाम, शिक्षा से जुड़े विभिन्न योजनाओं को लागू कराने आदि में पूर्ण सहयोग देगा।

बच्चों के शिकायतों के लिए ई–बॉक्स बनाने, सभी तरह के शिकायतों से संबंधित ऑकड़ों का संकलन, अनुश्रवण तथा प्रचार–प्रसार के कार्य को अधिक वैज्ञानिक एवं प्रायोगिक रूप से आयोजन करने की अपने आप से अपेक्षा करता है। साथ ही आयोग अपने दलों में बच्चों की भागीदारी बड़े स्तर पर करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को और भी समर्पित भाव से करेगा। बाल मित्र न्यायालय की स्थापना के लिए भी बेहतर प्रसार करेगा।

10. सारांश

भारत के संविधान में उल्लेखित अनुच्छेद 15(3), 21 एवं 24 में वर्णित प्रावधानों तथा भारतीय संसद में वैश्विक समझौते के पश्चात पेश 2005 का बाल अधिकार संरक्षण बिल 2006 में पारित होकर बाल अधिकार संरक्षण कानून के रूप में परिवर्तित हुआ जिसके आधार पर बिहार सरकार ने 2010 में राज्य में बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रशासकीय संचालन हेतु प्रशासनिक पदाधिकारियों सहित सहायक कार्यबलों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। आयोग का मुख्य उद्देश्य राज्य में बच्चों के सर्वांगीण विकास तथा उनके संरक्षण हेतु समुचित वातावरण का निर्माण सुनिश्चित करना है। बिहार में बाल अधिकार संरक्षण आयोग राष्ट्रीय आयोग के साथ समन्वय स्थापित कर बाल अधिकारों के उल्लंघन कार्यों की जांच पड़ताल करती है, बच्चों से संबंधित सरकार या किसी अन्य अधीनस्थ प्राधिकार या संगठन से निर्धारित समय सीमा के अंदर आवश्यक सूचनाओं या प्रतिवेदन की मांग कर बच्चों से संबंधित ऑकड़े संकलित कर उनका विश्लेषण करती है तथा बाल अधिकारों के बारे में जानकारी विकसित कर तथा उनका प्रचार–प्रसार जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती है।

आयोग अपने गठन से लेकर अब तक प्रदेश के बच्चों उनके अभिभावकों संबंधित विभागों/हितधारकों/संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर राज्य के द्वारा दिये दायित्वों का पूरी सचेष्टता एवं संवदेनशीलता के साथ निर्वहन करते आ रही है। अपने निर्धारित क्रियाकलापों तथा शिकायतों के प्रबंधन उनका संज्ञान लेने समय पर निराकरण में सहयोग अदालती प्रकरणों के जबाव देने, संबंधित निकायों को दिशा–निर्देश जारी करने तथा कानूनों का बाल अधिकार के दृष्टि से विश्लेषण करना जैसे कार्यों के अतिरिक्त आयोग ने कई नवाचारों को अपनाने हुए राज्य में बाल अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में कई हस्तक्षेप किये जिसके परिणाम काफी सकारात्मक रहे हैं। वर्तमान में भी आयोग कई महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों के माध्यम से सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है, जिसमें प्रत्येक प्रमंडल में पदाधिकारियों से विमर्श, विद्यालयों/आंगनबाड़ी केन्द्रो तथा बाल संरक्षण इकाईयों का भ्रमण कर संबंधित विभागों को क्रियान्वयन में उत्तरोत्तर गुणात्मक सुधार हेतु निदेश निर्गत करना प्रमुख है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय पटना के साथ मिलकर भी किशोर न्याय से संबंधित मामलों के त्वरित निपटारे के लिये आयोग द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। आयोग ने समय–समय पर जनस्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा, अभिवंचना से प्रभावित बच्चों के लिये विभिन्न मुददों पर एडवाईजरी निर्गत की है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न टीमों के माध्यम से आवश्यक हस्तक्षेप किया है।

आयोग द्वारा बाल संरक्षण के क्षेत्र में हासिल की गई सफलता में सबों का सहयोग प्राप्त हुआ है। सरकार के द्वारा एक सबल आयोग के गठन से लेकर कार्यों के निष्पादन में हरसंभव सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य एवं प्रमंडल स्तर पर विभिन्न विभागों के सहयोग एंव उनके साथ होने वाली बैठकों के दौरान प्राप्त हुए अनुभवों के कारण आयोग अपने कार्यों को जमीनी स्तर पर कार्यान्वित करने में सफल रहा है। इसके अतिरिक्त आयोग को बच्चों के हितों में अपने कार्यों के कार्यान्वयन में यूनिसेफ जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं का मजबूत सहयोग प्राप्त होता रहा है।

बाल संरक्षण आयोग भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत बाल संरक्षण के अधिकरों को राज्य में क्रियान्वित करने हेतु प्रयासरत है जो कि मूलतः उनके लिये अत्यधिक आवश्यक है जिनके पास अपनी आवाज नहीं है और सामाजिक तथा राजनैतिक रूप से अभिवंचना से प्रभावित हैं। संक्षेप में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बिहार बाल संरक्षण आयोग "a voice of voiceless people" के रूप में क्रियाशील है।

प्रमंडलीय भ्रमण की कुछ झलकियाँ

कुछ झलकियाँ

Workshop
on functioning of
State Commissions for Protection of Child Rights

Level Knowledge Sharing Workshop on
Alternative Care for Children

विद्यालय से बाहर के बच्चों के लिए समुचित
रणनीति तय करने हेतु संभाग प्रभारियों का

विद्यालय से बाहर के बच्चों के लिए समुचित
रणनीति तय करने हेतु संभाग प्रभारियों का
दो दिवसीय कार्यशाला

APCL
STATE LEVEL CONFERENCE ON
APCL
STATE LEVEL CO ERENCE ON R

बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग

www.bscpcr.org.in

22/बी0, हार्डिंग रोड, पटना, बिहार

0612 2217188

Follow Us

Annual Report (2017-2020)

Presented by: Manaswin Media